


सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर



कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2019-20

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों के कार्यों की
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2019-20

विवरण सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(i) प्रस्तावना	I
(ii) समग्र दृष्टि	II
(iii) भाग प्रथम - परिचय	1
(iv) भाग द्वितीय- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ	4
(v) भाग तृतीय - कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ	9
(vi) भाग चतुर्थ - सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा	32


प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाऊचरों सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त कोषालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों / उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों, कोषाधिकारियों, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं / त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्टों में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक:



(डी.पी.यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

राजस्थान, जयपुर

समग्र - दृष्टि

आक्षेप संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.6	भारतीय रिजर्व बैंक जमा " लेखा शीर्ष-8675 " के अन्तर्गत उत्पन्न अंतर राशि ₹ 19.65 लाख (नाम) एवं ₹ 550.56 लाख (जमा) के निराकरण नहीं होना	6
2.7	आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 39.24 करोड़	7
2.8	निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माइनस मीमो के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अंतर ₹ 4.40 करोड़ व ऋणात्मक अंतर ₹ 5.26 करोड़ एवं शुद्ध ऋणात्मक अंतर ₹ 0.86 करोड़	8
3.3	निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां ₹ 25.29 लाख	10
3.4.1	उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 21.89 लाख	12
3.4.2	सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान राशि ₹ 8.07 लाख	13
3.4.3	वैधता अवधि पार उपादान भुगतान आदेशों को पुनर्वैध कराये बिना अनियमित भुगतान राशि ₹ 1.43 लाख	14
3.4.4.1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एक मुश्त वसूली नहीं करना राशि ₹ 22.15 लाख	14
3.4.7.1	पेंशन की रूपांतरित राशि की नियत तिथि के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर से पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 2.36 लाख एवं कम भुगतान ₹ 0.21 लाख	17
3.4.8	सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करना राशि ₹ 4.00 लाख	18
3.4.9	पेंशन चैक रजिस्टर में कम/अधिक भुगतान के मिस मैच प्रकट होना	18
3.5.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत की गई वसूली से संबंधित चैक्स को राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 2.18 लाख	19
3.5.2	सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 68.77 लाख	20

3.5.3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 0.39 लाख	20
3.5.4	पेंशन स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृतियां जारी किये जाने के कारण अनियमित भुगतान राशि ₹ 31.65 लाख	21
3.5.5	सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 3.40 लाख	21
3.6	व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव	22
3.7.1	निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना	23
3.7.2	कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अंतर राशि ₹ 20.60 करोड़ व ऋणात्मक अंतर राशि ₹ 1.05 करोड़	23
3.8.1	अनुपयोगी कम प्राप्त / कटे-फटे एवं अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 15.78 लाख	24
3.8.2	जारी किये गये मुद्रांकों को डीफेस किये जाने का अभाव	24
3.9.1	भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 38.31 करोड़	25
3.9.4.1	राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद पुस्तिका संधारण का अभाव	27
3.9.4.2	ऋणी खाता धारक कर्मचारियों द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण नहीं करना	27
3.10.1	राजकीय लेन देन करने वाली एजेंसी बैंक से दैनिक लेखे दोहरी पासबुक से स्वीकार करने का अभाव	28
3.10.3	आईएफएमएस में " पे मैनेजर " से जनरेट रिपोर्ट में बिल की टोकन संख्या के साथ में दिनांक अंकित नहीं करना	28
3.10.6	उपकोष सांगोद (कोटा) द्वारा गृह किराया भत्ता का अधिक भुगतान राशि ₹ 0.44 लाख	29
3.10.7	बैंक की वेब साइट पर चालान आईडेंटिफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना	30
3.10.8	राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 35.41 करोड़ को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने पर देय दण्डनीय ब्याज की राशि का निर्धारण एवं वसूली का अभाव	30
3.10.9	रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव	31
3.10.10	रोकड़बही के संधारण का अभाव	31

कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2019-20

भाग-1

1. परिचय

1.1 कोषागार की भूमिका

राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान 41 कोषालय (खजाना) एवं 251 उप कोषालय (उपखजाना) राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत रहे, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -1 में दर्शाया गया है, जिनमें सभी कार्यालयों (कुल 25325 आहरण-संवितरण अधिकारियों) के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु खुले हुए थे। राजस्थान के 04 जिला मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) पर कार्यरत मुख्य कोषालयों के अलावा 07 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -2 में दर्शाया गया है। इनमें से 41 कोषालयों एवं 125 उप कोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय का वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये जाने के लक्ष्य रखे गये थे, जिनके विरुद्ध 40 कोषालयों एवं 125 उप कोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के निरीक्षण कार्य का लक्ष्य अर्जित किया। शेष एक कोषालय झुन्झुनू का निरीक्षण कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाये गये लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका। ई-कोषालय, जयपुर व निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर का निरीक्षण कार्य 31 मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने की बजाय लॉकडाउन में आंशिक छूट के दौरान जयपुर मुख्यालय पर होने से माह जून 2020 में पूर्ण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाया गया है।

1.2 संगठनात्मक सेट अप :-


राजस्थान राज्य में निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी कोषालयों (ई-कोषालय, जयपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली सहित) एवं उप कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्य किये जाते हैं।

प्रत्येक कोषाधिकारी कोषालय के संचालन के लिए कलैक्टर के साथ संयुक्त रूप से रोकड़, मुद्रांक आदि और अन्य राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए

उत्तरदायी है साथ ही कोषाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह अन्य कार्यालयों / विभागों से आहरण व वितरण अधिकारी की पदीय हैसियत में व्यवहार करने तथा निदेशक, कोष एवं लेखा के प्रति कोष के लेखों को नियमों में वर्णित और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कठोरता पूर्वक रखने हेतु समस्त प्रारम्भिक अभिलेखों वाउचर्स की शुद्धता व कोषालय में होने वाले सारे संव्यवहारों की निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सभी निहित शक्तियों के साथ एक उप कोषालय होता है। उप कोषालय राजस्थान लेखा सेवा के अधीनस्थ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार में होता है। उप कोषाधिकारी कर्तव्यों, उचित आचरण और नियमों की पालना के लिए कोषाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उप कोषाधिकारी उप कोषालय से संबंधित उन समस्त कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो कि कोषाधिकारी द्वारा कोषालय संचालन के लिए अपेक्षित हैं।

निदेशालय का संगठनात्मक सेट अप निम्न प्रकार है:-



1.3 कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या


1.3.1 राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कुल स्वीकृत 2566 पदों के विरुद्ध केवल 1855 पदों पर ही कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत रहे ।

1.3.2 इन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में से केवल 1618 को ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षण प्राप्त था एवं शेष 237 अप्रशिक्षित रहते हुए भी कोषालयों / उप कोषालयों में कार्य कर रहे थे।

कोषालयों / उप कोषालयों में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या तथा उनके कम्प्यूटर प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -4 में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे चार्ट संख्या 1 में प्रदर्शित है:-

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



1.4 कम्प्यूटरीकरण

राजस्थान राज्य के अन्तर्गत राजकीय लेन-देन के निष्पादन हेतु कार्यरत परिशिष्ट संख्या -1 में वर्णित सभी 41 कोषालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत 251 उप कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत ऑनलाईन लेन-देन प्रक्रिया का निष्पादन कर सभी 41 कोषालयों के द्वारा माह फरवरी 2020 से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अन्तर्गत संधारित वाउचर लेवल कम्पाइलेशन(VLC) में ऑनलाईन लेखे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। विभिन्न कोषाधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत उप कोषाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों के दैनिक लेखे संबंधित कोषाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपना कर कोषालय के मासिक लेखे की प्रथम एवं द्वितीय सूची में सम्मिलित किये जाते हैं ।

भाग- 2

2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ


2.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 209 में वर्णित प्रावधानानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस कार्यालय के केन्द्रीय खजाना अनुभाग (सी.टी.एस.) मेन्युअल के अनुसार राज्य के कोषालयों द्वारा मासिक लेखे माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। माह की 1 से 10 तारीख तक की प्रथम अनुसूची एवं माह की 11 से अंतिम कार्य दिवस तक की द्वितीय अनुसूची क्रमशः उसी माह की 13 से 17 तारीख तक एवं आगामी माह की 5 से 8 तारीख तक प्रेषित करनी होती है। मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है।

इस कार्यालय में वर्ष 2019-20 में कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मासिक लेखों की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची 16 कोषालयों द्वारा 31 प्रकरणों में 01 से 05 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -5 में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे चार्ट संख्या-2 में प्रदर्शित है।

(चार्ट संख्या - 2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण



प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को, मासिक लेखों की दोनों सूचियों को इस कार्यालय में निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित करें।

2.2 कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स

वर्ष 2019 - 20 में कोई भी वाउचर अप्राप्त वाउचर की श्रेणी में लम्बित नहीं था।

2.3 अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव

राजस्थान राज्य स्थित लगभग सभी कोषालयों के द्वारा अन्य राज्यों के पेंशनरों के लिए इस कार्यालय के पेंशन प्राधिकृति अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों के अनुसार संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है किंतु 19 कोषाधिकारियों द्वारा 137 उपादान अधिकृतियों तथा 88 सारांशीकरण अधिकृतियों के भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक इस कार्यालय को सूचित नहीं किये गये थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	उपादान अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नंबर व दिनांक लंबित होने की अवधि	सारांशीकरण अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नंबर व दिनांक लंबित होने की अवधि
1	अलवर	31	06/2005 से 04/2019	13	04/2011 से 04/2019
2	बांसवाड़ा	1	05/2012	2	3/11 से 10/2012
3	ब्यावर	3	01/2014 से 11/2017	2	01/2014 से 04/2017
4	भरतपुर	4	07/2013 से 01/2018	4	12/2009 से 10/20015
5	बाड़मेर	1	11/2018	1	11/2018
6	भीलवाड़ा	1	06/2011	1	06/2011
7	चूरू	9	08/2017 से 04/2019	6	08/2017 से 04/2019
8	डूंगरपुर	1	04/2014	5	03/2010 से 04/2014
9	धौलपुर	1	07/2018	0	-
10	हनुमानगढ़	1	03/2018	0	-
11	जयपुर (पेंशन)	11	09/2006 से 02/2019	7	06/2017 से 02/2019
12	जोधपुर (ग्रामीण)	17	07/2008 से 10/2017	15	01/2010 से 10/2017
13	जैसलमेर	3	05/2017 से 06/2018	3	05/2017 से 11/2017
14	झुन्झुनू	5	08/2014 से 03/2019	3	02/2016 से 07/2018
15	कोटा	2	04/2013 से 06/2013	0	-
16	राजसमंद	37	09/2006 से 07/2019	18	01/2010 से 07/2019
17	नागौर	5	02/2014 से 01/2018	4	11/2013 से 11/2015
18	सीकर	1	04/2018	1	04/2018
19	उदयपुर ग्रामीण	3	01/2018 से 05/2018	3	01/2018 से 05/2018
योग		137		88	

उपरोक्त टी.वी. नंबर एवं दिनांक के अभाव में इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इन अधिकृतियों का भुगतान हुआ है या नहीं।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि अन्य राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतानों के कोष वाउचर संख्या व दिनांक का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

2.4 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2019-20 के दौरान कोषालयों द्वारा किये गये गलत वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 755 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विवरण

परिशिष्ट संख्या -6 में दर्शाया गया है। प्राप्त सभी हिसाब शोधन पत्रों के आधार पर लेखों में वांछित संशोधन कर दिया गया था।

2.5.1 लेखाशीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण" की वृहद पुस्तिकाओं के शेषों में अन्तर होना

माह 3/2020 तक के लेखे संवरण होने तक लेखा शीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण" (8782-102-02 चैक) की वृहद पुस्तिका में राजसमंद कोषालय के शेषों में अंतर था, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

लेखा शीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण"(8782-102-02 चैक) में माह 03/2020 तक शेष रहे अन्तर का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	खण्ड का नाम	राशि ₹	चैक / चालान	माह
1	राजसमंद	सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, भीम (पी-200) माह 03/2016	81470.00	चैक-8782-102-02	03/2020

उपरोक्त अन्तर चैक संख्या 369287 राशि ₹ 81470/- का दिनांक 2.03.2016 एवं 03.03.2016 को दोहरा भुगतान हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ था जिसका निराकरण किया जाना लम्बित है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि कोषाधिकारी राजसमंद को, अन्तर के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित करें।

2.5.2 लेखाशीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

लेखाशीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये लेखा शीर्ष 8782-102-01 के अन्तर्गत 265 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा ऋणात्मक राशि ₹ 159.20 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-102-02 के अन्तर्गत 155 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा ऋणात्मक राशि ₹ 166.02 करोड़ के चैक्स माह 3 / 2020 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या -7 में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.6 लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में बकाया रहे अन्तरों के निराकरण का अभाव अंतर राशि ₹19.65 लाख (नाम) एवं 550.56 लाख (जमा)

सरकारी लेन देन करने वाली एजेन्सी बैंक द्वारा गलत रिपोर्टिंग के कारण कोषाधिकारी द्वारा ऐसे लेन-देनों को लेखों में शामिल नहीं किये जाने के फलस्वरूप लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा (राज्य)" के अन्तर्गत माह मार्च 2020 तक के 08 कोषालयों के 12 प्रकरणों में राशि ₹ 19,64,550/- नामें तथा 08 कोषालयों के 08 प्रकरणों में राशि ₹ 5,50,56,167/- जमा के अन्तर के निराकरण हेतु माह अगस्त 2020 तक बकाया थे, जिसके

लिए निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर, संबंधित कोषाधिकारियों तथा एजेन्सी बैंकों से पत्राचार जारी है। अंतरों का विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या -8](#) में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, अन्तरों के यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु निर्देशित करें।

2.7 [आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 39.24 करोड़](#)

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-1 के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियमों में वर्णित कार्यों हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए। प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि पिछले माह में उठाये गये ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का रिकार्ड कोषालयों द्वारा भी यह देखने के लिए रखा जाता है कि पिछले माह के ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान तथा इस कार्यालय (टी.एम अनुभाग) द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली निगरानी के अनुसार पाया गया कि 08 कोषालयों से संबंधित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा माह सितम्बर 2019 तक आहरित किये गये 34 ए.सी. बिलों की राशि ₹ 39,23,99,133/- के डी.सी. बिल माह अगस्त 2020 तक इस कार्यालय को आवश्यक समायोजनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनका नियंत्रक अधिकारीवार एवं मुख्य शीर्षवार विवरण [परिशिष्ट संख्या -9](#) में दर्शाया गया है, इनकी वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	संख्या	राशि ₹
1	2015 - 16 एवं पूर्व के	5	6,42,77,760
2	2016 - 17	3	2,61,25,435
3	2017 - 18	4	24,37,17,144
4	2018 - 19	18	5,39,54,094
5	2019 - 20 (सितम्बर 2019 तक)	4	43,24,700
योग		34	39,23,99,133

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनके समायोजन हेतु डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी निगरानी की व्यवस्था करवाएं।

2.8 निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 4.40 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 5.26 करोड़ के निराकरण का अभाव

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृहद पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2020 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 31 कोषालयों के 109 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 43964763.78 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 52568841.00 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या -10 में दर्शाया गया है। संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा इस कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तरों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, कोषालयों को निर्देश जारी करें कि वे अपने प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रत्येक माह अंक मिलान हेतु भिजवायें जिससे अंतरों का निराकरण हो सके।

भाग- 3

3. कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय

समीक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान परिशिष्ट संख्या -3 में वर्णित राजस्थान राज्य के 40 कोषालयों तथा 122 उप कोषालयों एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/ कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

3.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप :-

दिनांक 31 मार्च 2020 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
प्रारम्भिक शेष (1.04.2019) वर्ष 2009-10 से बकाया	143	529
नये सम्मिलित (वर्ष 2019-20)	39+ 1* = 40	512
योग	183	1041
निपटान / निस्तारण (वर्ष 2019-20)	30	364
अन्तिम शेष (31.03.2020)	153	677

(* निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर)

उक्त बकाया 153 प्रतिवेदनों एवं 677 आक्षेपों में से 47 प्रतिवेदन तथा 91 आक्षेप वर्ष 2009 -10 से 2014 -15 तक की अवधि से लम्बित हैं।

3.2.2 प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना :-

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन की पावती, तिथि से दो माह की अवधि में, प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष के दौरान केवल 04 (चार) कोषालयों (अजमेर, बूंदी, जयपुर(शहर) व सवाई माधोपुर) के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, 17 कोषालयों द्वारा माह अगस्त, 2020 तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 19 कोषालयों द्वारा 3 दिन से 4 माह 21 दिन के विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -11 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना सहित बकाया आक्षेपों की ठोस पालना समय पर भिजवाएं।

3.3 निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां राशि ₹ 25.29 लाख

कोषालयों व उप कोषालयों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं / कमियों में से कुछ वसूलियों को कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी स्तर पर गम्भीरता से लिया गया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 25,29,006/- की मौके पर ही वसूली की कार्रवाई कर राजकोष के संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने की पालना से निरीक्षण दलों को अवगत कराया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निरीक्षण दलों को जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय का नाम	वसूली का विवरण	वसूली की गई राशि ₹	संबंधित मुख्य शीर्ष का विवरण	वसूल की गई राशि का चालान/ जी.आर.एन. / टी.वी. नम्बर व दिनांक		
1	उपादान भुगतान आदेश में दर्शाई गई कटौती की वसूली नहीं करना	अलवर	रामगढ़	श्री कैलाश चंद यादव पीपीओ संख्या 1077316 (R) जीपीओ संख्या 31115699 (R)	212518	2515	00003 /14.08.19		
				श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी पीपीओ संख्या 1064629 (R) जीपीओ संख्या 3090818 (R)	113032	0202	32474784/08.08.19		
				लिछिराम पीपीओ संख्या 1076681 (R) जीपीओ संख्या 3114447 (R)	17332	3054	32472081/08.08.19		
				श्रीमती कांता भाटिया पीपीओ संख्या 1065772 (R) जीपीओ संख्या 3092744 (R)	110622	0202	32475258/08.08.19		
			तिजारा	श्री शम्भु दयाल पीपीओ संख्या 1083140 (R) जीपीओ संख्या 3126283 (R)	56740	2055	32543929/13.08.19		
				श्री महेन्द्र सिंह पीपीओ संख्या 1084131 (R) जीपीओ संख्या 3129193 (R)	185433	2055	32544070/13.08.19		
				सुश्री कंचन रानी पीपीओ संख्या 2012779 (R) जीपीओ संख्या 1345068 (R)	98420	प्राधिकृति में शीर्ष दर्ज नहीं	32482828/08.08.19 32482208/ 8.8.19		
				श्रीमती सुनेरा पीपीओ संख्या 2012779 (R) जीपीओ संख्या 3145067 (R)	59580	प्राधिकृति में शीर्ष दर्ज नहीं	32482290/ 8.8.19 32482905/8.8.19		
				बाड़मेर	पचपदरा	श्री रण छोड़ राम पीपीओ संख्या 1095618 (R) जीपीओ संख्या 3150273 (R)	338369	4700	36867276/14.01.20
						श्रीमती चंद्र कवर पीपीओ संख्या 2013899 (R) जीपीओ संख्या 3159382 (R)	43266	2202	36859044/14.01.20
			श्री देवी सिंह पीपीओ संख्या 1102103 (R) जीपीओ संख्या 3159633 (R)			7925	2406	36866860/14.01.20	
			भीलवाड़ा	शाहपुरा	शंकर लाल दरोगा पीपीओ संख्या 1094239 (R) जीपीओ संख्या 3147690 (R)	22890	2071	31898491/17.07.19	
						105540	2702	33884354/01.10.19	
			चूरू	तारानगर	कन्हैया लाल पीपीओ संख्या 1067595 (R) जीपीओ संख्या 3095113 (R)	6870	0202	30497962/17.05.19	

क्र.सं.	निरीक्षण दलों को जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय का नाम	वसूली का विवरण	वसूली की गई राशि ₹	संबंधित मुख्य शीर्ष का विवरण	वसूल की गई राशि का चालान/ जौ.आर.एन. / टी.वी. नम्बर व दिनांक
			सरदारशहर	श्री रणवीर सिंह पीपीओ संख्या 1071730 (R) जीपीओ संख्या 3102160 (R)	2055	0202	30619051/23.05.19
		दौसा	लालसोट	श्रीमती भगवती देवी पीपीओ संख्या 2011957 (R) जीपीओ संख्या 3133010 (R)	29169	2053	34747421/01.11.19
			बसवा	श्री बनवारी लाल शर्मा पीपीओ संख्या 0141-1063690(R) जीपीओ संख्या 0141-3122601(R)	28762	0406	34421433/18.10.19
		धौलपुर	धौलपुर	श्री कल्याण सिंह पीपीओ संख्या 1102771 (R) जीपीओ संख्या 3160483 (R)	84824	0202	36363110/26.12.19 व 36362900/26.12.19
		नागौर	मेड़तासिटी	दीनाराम पीपीओ संख्या 1074828 (R) जीपीओ संख्या 3109446 (R)	57209	2210	31835808/15.07.19
		हनुमानगढ़	नोहर	श्री राजाराम मिश्रा पीपीओ संख्या 1105968 (R) जीपीओ संख्या 3164515 (R)	69586	2210	35264158/19.11.19
		झालावाड़	खानपुर	श्री राजेन्द्र कुमार जैन पीपीओ संख्या 8100365(R)SF NPS जीपीओ संख्या 8300517 (R)	432732	0071	34517401/ 22.10.19
		पाली	बाली	श्री शिव लाल मारू पीपीओ संख्या 1218195 (R) जीपीओ संख्या 3113767 (R)	80614	2202	37760143/14.02.20
				श्री लाला राम माली पीपीओ संख्या 1091015 (R) जीपीओ संख्या 3142446 (R)	12275	2202	37761462/14.02.20
				श्री मोती लाल गर्ग पीपीओ संख्या 1097400 (R) जीपीओ संख्या 3153284 (R)	14056	0401	37938162/19.02.20
		टोंक	पीपलू	श्रीमती प्रभु देवी मीना पीपीओ संख्या 8100452 (R)SF NPS जीपीओ संख्या 8300675 (R)	200000	0071	31092578/14.06.19
				श्री सुनील कुमार मीना पीपीओ संख्या 8100452 (R)SF NPS जीपीओ संख्या 8300676 (R)	100000	0071	31092829/14.06.19
				श्री बजरंग लाल पीपीओ संख्या 1108909 (R) जीपीओ संख्या 3168205 (R)	18996	0210	36039094/16.12.19
2	सिविल पेंशनर को अधिक भुगतान	कोटा	पीपल्दा	श्रीमती मेहरू निशा मंसूरी पीपीओ संख्या 1096288 (R) सीपीओ संख्या 4113354 (R)	20191	2071	36826857/13.01.20
				योग	2529006		

3.4 सिविल पेंशन


3.4.1 उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 21.89 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार उपादान भुगतान आदेश की सकल राशि में दर्शायी गयी कटौती की वसूली करने के बाद ही उपादान की शुद्ध राशि का भुगतान किया जाना चाहिये ।

उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशि ₹ 21,89,238/- की उपादान राशि से कटौती कर उपादान भुगतान आदेशों में उल्लेखित मद में जमा की जानी थी, परन्तु 04 कोषालयों एवं 21 उप कोषालयों द्वारा 45 प्रकरणों में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपादान भुगतान आदेशों में कटौती योग्य दर्शायी गयी राशि की बिना कटौती किए, पूर्ण उपादान राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-12](#) में दर्शाया गया है । एक नजर में जानकारी [चार्ट संख्या-3](#) में दर्शायी गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मामले की संख्या वर्ष 2016 -17 से प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(चार्ट संख्या 3)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



उप कोष लालसोट (दौसा) के द्वारा उपादान भुगतान आदेश के साथ-साथ उसमें वर्णित दस्तावेज " सेवा सत्यापन जीए-141" को प्राप्त करने की कार्रवाई भी नहीं की गई ।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, समस्त कोषाधिकारियों को, उपादान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती / वसूली की राशि को उपादान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूली किये जाने के निर्देश जारी करवाएं एवं उप कोष लालसोट (दौसा) से भी आवश्यक पालना सुनिश्चित करवाएं ।

3.4.2 सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान राशि ₹ 8.07 लाख

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम 196 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 4(2) के अनुसार मृत्यु की दिनांक को कार्य दिवस माना जावेगा एवं वेतन व भत्ते व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक तक आहरित किये जा सकते हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 54 (ए) के अनुसार पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की आयु 80 वर्ष या अधिक होने पर पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन राशि में निम्नानुसार वृद्धि होती है:-

पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन / पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 85 वर्ष से कम होने पर	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन की 20 %
85 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 90 वर्ष से कम होने पर	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन की 30 %
90 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 95 वर्ष से कम होने पर	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन की 40 %
95 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 100 वर्ष से कम होने पर	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन की 50 %
100 वर्ष एवं अधिक पर	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन की 100 %

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृत्यु की दिनांक के बाद 7 वर्ष या मृतक कर्मचारी की आयु 67 वर्ष होने तक जो भी पहले हो, को पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन का 50% या पारिवारिक पेंशन की दो गुणा (डबल) जो भी कम हो, बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देय है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर बढ़ी हुई दर से देय पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी की आयु 67 वर्ष होने तक देय है।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक की भी पेंशन भुगतान करने, मृत्यु की दिनांक से पूर्व की तिथि से पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने, 80 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही अतिरिक्त पेंशन का अनियमित भुगतान करने एवं निर्धारित अवधि के बाद भी बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के फलस्वरूप राशि ₹ 8,06,750/- का अनियमित भुगतान कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय / उपकोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान की राशि ₹	अधिक भुगतान का विवरण
1	धौलपुर	श्रीमती बुधीमति	2012016 (R) SF	1284	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 19.02.18 को हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं है।
2	लालसोट (दौसा)	श्रीमती रेखा सोनी	2011806 (R) SF	1072	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 09.02.18 हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं है।
		श्रीमती तुलसी देवी	2011073 (R) SF	1284	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 15.02.18 हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं है।
3	सिकराय (दौसा)	श्रीमती जमना देवी शर्मा	2008874(R)SF	1055	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 03.02.18 हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं है।
4	दौसा	श्री हरिओम शर्मा	1083193 (R)	988	पेंशनर की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.18 है। अतः उक्त दिवस की पेंशन देय नहीं है।
6	पीपल्दा (कोटा)	श्रीमती बिसमिल्लाह बेगम	2010031 (R)SF	132927	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 28.02.16 हुई थी किंतु पेंशन का भुगतान दिनांक 29.02.16 से प्रारंभ करने के बजाय दिनांक 01.06.15 से किया गया।
7	जैतारण (पाली)	श्रीमती सुशीला	2011782 (R)SF	1072	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 03.02.18 हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं है।
8	जयपुर (पेंशन)	श्रीमती रुकमणी देवी	104187 (R) SF	111992	कोषालय लगेसी डाटा के अनुसार पेंशनर की जन्म दिनांक 31.07.1938 है जिसके अनुसार 80 वर्ष की

					आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31.07.18 से 20% अतिरिक्त पेंशन देय थी, किंतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटपूतली के द्वारा दिनांक माह अप्रैल 2014 से 20% व सितम्बर 2015 से 30% अतिरिक्त पेंशन भुगतान कर दी गई।
		श्रीमती पार्वती देवी मीणा	171065 (R) SF	555076	पेंशनर को दिनांक 01.05.2014 तक ही बढ़ी हुई दर (Enhanced Rate) से पेंशन देय थी, किंतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस्सी द्वारा माह फरवरी 2019 तक उक्त बढ़ हुई दर जारी रखी गई।
योग				806750	

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.4.3 वैधता अवधि पार उपादान भुगतान आदेशों को पुनर्वैधताकरण कराये बिना अनियमित भुगतान राशि ₹ 1.43 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 190(4) एवं निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपादान भुगतान आदेश के बिंदु संख्या 7 के अनुसार उपादान भुगतान आदेश जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक ही वैध रहता है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय करौली, चित्तौड़गढ़ के द्वारा वैधता अवधि पार हो चुके उपादान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से पुनर्वैध कराये बिना ही संबंधित पेंशनरों को राशि ₹ 1,42,505/- भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय / उपकोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	जारी करने की दिनांक	बिल/ भुगतान की दिनांक	जी.पी.ओ. की राशि ₹
1	करौली	श्री राकेश कुमार	2009217 (आर)	3121353 (आर)	23.08.18	06.09.19	29387
		श्री दर्शन कुमार	2009217 (आर)	3121354(आर)	23.08.18	06.09.19	29386
2	चित्तौड़गढ़	श्री पप्पूदास	0294-2007752	0294-3101174(आर)	01.05.18	22.07.19	41866
		श्री प्रहलादास	0294-2007752	0294-3101175(आर)	01.05.18	22.07.19	41866
योग							142505

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे उपादान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से पुनर्वैध करवाने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.4.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल/सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एकमुश्त वसूली नहीं करना राशि ₹ 22.15 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के अपेंडिक्स 1 के बिन्दु संख्या 18 एवं निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ-5/कोष-2/ज.ले.स./14772-810 दिनांक 18.11.2002 द्वारा सभी कोषालयों को सूचित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

द्वारा पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति बॉण्ड के आधार पर सम्बन्धित बैंक शाखा से एक मुश्त वसूली की जाये ।

समीक्षा वर्ष 2019-20 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 04 कोषालयों (बीकानेर, इंगरपुर, दौसा एवं जयपुर (पेंशन)) के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं के द्वारा राज्य सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि ₹ 22,15,149/- की सम्बन्धित बैंको से एकमुश्त वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या -13](#) में दर्शाया गया है ।

अतः इस संबंध में निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से निवेदन है कि समस्त कोषाधिकारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा किये गये अधिक भुगतान की एकमुश्त वसूली करने के निर्देश जारी करवाएं।

3.4.4.2 [सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं के अधीनस्थ पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण का अभाव](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 189 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं द्वारा किये जाने वाले पेंशन भुगतान की पत्रावलियों का निरीक्षण किया जाना चाहिये किंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उप कोष रेवदर (सिरोही) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधीनस्थ पेंशन भुगतान पत्रावलियों का नियमानुसार निरीक्षण नहीं किया गया तथा कोषालय जयपुर (पेंशन) द्वारा 461 बैंक शाखाओं में से वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी बैंक शाखा की पेंशन पत्रावलियों का निरीक्षण नहीं कराया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पेंशन पत्रावलियों का कोषालय / उप कोषालय स्तर से निरीक्षण का कार्य पूर्ण करवाकर पाये जाने वाले अधिक / कम भुगतान की वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं।

3.4.5 [पारिवारिक पेंशनर के लिए जारी पी.पी.ओ./ एल.पी.सी. तथा जी.पी.ओ. में वेतन व तिथि अलग-अलग होना एवं पेंशनर द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित जन्म तिथि में अन्तर होना](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 176 के अनुसार पेंशन का प्रथम भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के भौतिक सत्यापन के साथ-साथ उसकी पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा पेंशनरों के लिए जारी किये जाने वाले पेंशन भुगतान आदेश एवं पेंशनरों द्वारा अपनी पहचान के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अन्तर्गत जन्म तिथि अलग-अलग अंकित की गई थी तथा पी.पी.ओ. / एलपीसी / जी. पी. ओ. में दिनांक व मासिक वेतन की राशि अलग-अलग दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

[जन्म तिथि में अंतर](#)

कोषालय/ उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. / जी.पी.ओ. संख्या	पी.पी.ओ. / जी.पी.ओ. में जन्म तिथि	सत्यापन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में जन्म तिथि
बागीदौरा (बांसवाड़ा)	श्रीमती लाली	2010548(आर)एसफ	01.01.1983	01.01.1963

यदि उपरोक्त दस्तावेजों में वास्तविक जन्म तिथि का मिलान नहीं कराया गया तो भविष्य में अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष एवं 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु की गणना करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

वेतन व तिथि में अंतर

धौलपुर	श्रीमती गुड्डी शर्मा	3149229(आर)	जीपीओ के अनुसार दिनांक 27.11.18 राशि 42700/-	एलपीसी के अनुसार दिनांक 31.01.19 राशि 37007/-
	श्री मुन्ना लाल मीना	3165745(आर)	जीपीओ के अनुसार दिनांक 31.07.18 राशि 59500/-	एलपीसी के अनुसार दिनांक 31.07.18 राशि 57200/-
	श्री बसदेव शर्मा	3142627 (आर)	जीपीओ के अनुसार दिनांक 30.09.18 राशि 69000/-	एलपीसी के अनुसार दिनांक 01.01.19 राशि 69000/-

वेतन एवं तिथि में उपर्युक्त अंतरों के कारण पेंशनर को देय पेंशन एवं उपादान भुगतानों की वास्तविक राशि की जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे संबंधित कोषाधिकारियों को, उपर्युक्त अनियमितताओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित करें।

3.4.6 बैंक ई-स्कॉल में लुप्त एवं कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित तथा कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त एवं बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित डाटाज का समय पर निस्तारण नहीं करना

शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) कोष/ आईएफएमएस /सिविल पेंशन/1358-1413 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार कोषाधिकारियों एवं पेंशन का भुगतान करने वाली बैंको को यह निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालय एवं बैंक के डाटा में समरूपता होनी चाहिये ।

कोषालय के ऑनलाईन पेंशन चैक रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय जोधपुर(ग्रामीण), डूंगरपूर, सवाई-माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर(ग्रामीण), ब्यावर, सिरौही, झालावाड़, राजसमंद, दौसा, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, टोंक, जैसलमेर के द्वारा बैंक ई-स्कॉल में लुप्त किंतु पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित (Data not exists in Bank e- Scroll but exists in PCR) एवं पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त किंतु बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित(Data not exists in PCR but exists in Bank e- Scroll) डाटा का निरन्तर अंक मिलान की प्रक्रिया अपना कर निस्तारण नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप पेंशन चैक रजिस्टर (पी.सी.आर.) में खुलने वाली रिपोर्ट्स में ऐसे डाटा यथावत प्रदर्शित हो रहे थे।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक पेंशन भुगतान ई-स्कॉल व पेंशन चैक रजिस्टर के मध्य उत्पन्न मिस-मैच प्रकरणों के निस्तारण हेतु आंकड़ों का प्रति माह अंक मिलान किये जाने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करवाएं । जिससे मिस-मैच से पेंशनरों को हो रहे कम / अधिक भुगतानों को अविलम्ब रोका जा सके ।

3.4.7 पेंशन का रूपांतरण

3.4.7.1 पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 2.36 लाख एवं वास्तविक से अधिक कटौती किये जाने के कारण कम भुगतान राशि ₹ 0.21 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के लिए ऑथोरिटी जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण 01(एक) कोषालय (चित्तौड़गढ़) तथा 14 (चौदह) उप कोषालयों (जहाजपुर, मांडलगढ़, शाहपुरा, आसीन्द, निम्बाहेड़ा, कपासन, रावतभाटा, अकलेरा, पचपहाड़, कोटा (पेंशन), सांगोद, रेलमगरा, कुंभलगढ़ एवं गंगापुरसिटी) द्वारा 30 पेंशनरों को राशि ₹ 2,36,348/- का अधिक भुगतान एवं 01 (एक) उप कोषालय (आमेट) के द्वारा पेंशनर को रूपांतरित राशि के भुगतान किये बिना ही रूपांतरित पेंशन की कटौती करने के कारण एक पेंशनर को राशि ₹ 21,132/- का कम भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -14 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों में वसूली / भुगतान कार्रवाई निष्पादन के साथ-साथ राज्य के समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को नियमानुसार नियत तिथि के पश्चात् घटी दर से पेंशन राशि का भुगतान करने पर पूर्ण ध्यान दिये जाने के निर्देश जारी करवाएं ।

3.4.7.2 पेंशन भुगतान आदेश के पीछे दर्शाये गये विवरण में पेंशन रूपांतरण के बाद घटी हुई दर से पेंशन शुरू करने व घटी हुई पेंशन को रेस्टोरेशन करने की तिथि का गलत अंकन करना

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार पेंशन रूपांतरण के बाद घटी हुई दर से पेंशन शुरू करने की तिथि एवं नियम 29(1) के अनुसार रूपांतरित भाग के पुर्नस्थापन (Restoration) करने की तिथि इत्यादि सभी विवरण पेंशन भुगतान आदेश के पीछे (PPO Back) अंकित किये जाने चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 08 कोषालयों एवं 26 उप कोषालयों के द्वारा पेंशन रूपांतरण के पश्चात नियमानुसार घटी हुई दर से पेंशन भुगतान शुरू करने की वास्तविक सही तिथि तथा घटी हुई पेंशन को 14 वर्ष की अवधि समाप्ति पश्चात रेस्टोरेशन (बढ़ी हुई दर से) करने की वास्तविक सही तिथि का अंकन करने की बजाय गलत तिथियों का अंकन किया गया था। जिसका पेंशनरवार विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या -15 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों के अपने स्तर पर पेंशन रूपांतरण के पश्चात घटी दर से पेंशन शुरू करने की तिथि व 14 वर्ष पूर्ण होने पर रेस्टोरेशन करने की तिथियों का नियमानुसार सही अंकन करने हेतु निर्देशित करें ।

3.4.8 सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं / कम कटौती करना राशि ₹ 4.00 लाख

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 93 एवं चैप्टर 2.4 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पेंशन भुगतान राशि मय एरियर के आयकर छूट सीमा से अधिक होती है तो एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर (T.D.S.) एवं आयकर राशि पर शिक्षा प्रभार की कटौती की जानी चाहिये अथवा सम्बन्धित पेंशनर से आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर में छूट बाबत आवश्यक बचत प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये या चैप्टर VII के सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र प्राप्त करने चाहियें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 05 कोषाधिकारियों एवं 09 उप कोषाधिकारियों द्वारा 21 पेंशनरों को पेंशन एरियर राशि के किये गये भुगतान में से आयकर व शिक्षा प्रभार पेटे राशि ₹ 4,00,057/- की कटौती नहीं / कम कटौती की गई और आवश्यक बचत प्रमाण पत्र एवं सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र भी प्राप्त नहीं किये गये, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट संख्या -16 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को पेंशन एरियर राशि के भुगतान के समय आयकर अधिनियमों के अनुसार आयकर में छूट प्राप्ति योग्य दस्तावेज प्राप्त करने अथवा आयकर राशि की वसूली करने के निर्देश जारी करवाएं।

3.4.9 पेंशन बैंक रजिस्टर में कम / अधिक भुगतान के मिस-मैच मद प्रकट होना

शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) कोष/ आई.एफ.एम.एस. / सिविल पेंशन/1358-1413 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार कोषाधिकारियों एवं पेंशन का भुगतान करने वाली बैंकों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालय एवं बैंक के डाटा में समरूपता होनी चाहिये।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान कम्प्यूटर पर ऑन लाईन संधारित पेंशन बैंक रजिस्टर की समीक्षा में कोषालय व बैंक के डाटा में अनेक प्रकरणों में समरूपता नहीं पायी गई एवं फलस्वरूप पेंशन बैंक रजिस्टर में कम / अधिक भुगतान के आंकड़े प्रदर्शित हो रहे थे, जिसका कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या -17 में दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को कोष एवं अधीनस्थ बैंक शाखा के द्वारा पेंशन बैंक रजिस्टर में वास्तविक व सही आंकड़े दर्शाने अथवा उत्पन्न अंतर का तुरंत निराकरण करने हेतु निर्देशित करें।

3.4.10 सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान की गई अधिकृतियों, भुगतान आदेशों, टी.एस. रजिस्टर एवं पी.पी.ओ. के पृष्ठ भाग की प्रतियों की पत्रावली का संधारण नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 173 के अनुसार कोषालय / उप कोषालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों की कोषालय प्रति को पेंशन **भुगतानकर्ता** बैंक को प्रेषित की जानी चाहिये एवं उसकी प्रति कोषालय की पत्रावली में रखनी चाहिये। प्रत्येक वर्ग की पेंशन के लिए अलग-अलग पत्रावली का संधारण किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न कोषालयों / उप कोषालयों के द्वारा सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये भुगतान से संबंधित अधिकृतियों, भुगतान आदेशों, टी.एस.

रजिस्टर, पी.पी.ओ. के पृष्ठ भाग की छाया प्रतियां करवाकर पत्रावलियों का संधारण नहीं किया गया था अथवा निरीक्षण दलों को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके फलस्वरूप सिविल पेंशन से संबंधित भुगतान प्रकरणों की जांच नहीं की जा सकी। ऐसे कोषालयों एवं उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	पत्रावली संधारित नहीं करने / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाली निरीक्षित ईकाई
1	भीलवाड़ा	कोषालय भीलवाड़ा एवं उपकोष शाहपुरा, माण्डल
2	जोधपुर(ग्रामीण)	कोषालय जोधपुर(ग्रामीण)
3	उदयपुर (ग्रामीण)	कोषालय उदयपुर (ग्रामीण)
4	चित्तौड़गढ़	कोषालय चित्तौड़गढ़ एवं उपकोष कपासन, रावतभाटा
5	प्रतापगढ़	कोषालय प्रतापगढ़
6	हनुमानगढ़	कोषालय हनुमानगढ़ एवं अधीनस्थ उपकोष भादरा, नोहर
7	टोंक	कोषालय टोंक

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि उपर्युक्त कोषालय / उप कोषालय से सिविल पेंशन भुगतान की पत्रावलियों व आवश्यक पंजिकाओं का परिपूर्ण संधारण सुनिश्चित करवाकर प्रगति से अवगत करावें।

3.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

3.5.1 राजएसएसपी के अन्तर्गत वसूली गई राशि के प्राप्त चैक्स को बैंक में जमा कराने के पश्चात भी राजकोष में जमा न होना ₹ 2.18 लाख

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 5 व 6 के अनुसार सरकार की बकाया के रूप में या अन्य किसी प्रकार से सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त धन राशि को अविलम्ब सरकारी लेखों में जमा करवाया जाना चाहिये।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से वसूली गई राशि के उप कोष भोपालगढ़ (जोधपुर ग्रामीण) द्वारा प्राप्त किये गये 08 चैक कुल राशि ₹ 2,17,600/- को राजकोष में जमा कराने के लिए संबंधित एजेंसी बैंक को प्रस्तुत किये गये थे किन्तु उक्त चैक्स की राशि राजकोष में जमा होना नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों से वसूली गई राशियों के चैक राजकोष में होने वाली प्राप्ति मद में नकदीकरण (Encash) न हो कर उक्त राशि संबंधित बैंक शाखाओं के पास ही बकाया रहीं। ऐसे चैकों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	चैक संख्या व दिनांक	बैंक का नाम	राशि ₹
1	541182/ 04.09.18	यूको बैंक खोगरा	500
2	375656/ 24.10.18	यूको बैंक	4000
3	378961/ 16.03.19	भारतीय स्टेट बैंक भोपालगढ़	14500
4	99508/ 17.05.19	मरुधर ग्रामीण बैंक	41250
5	92279/ 13.01.20	मरुधर ग्रामीण बैंक, खवासपुरा	6500
6	179702/24.05.19	सहकारी बैंक	3750
7	089168/21.05.19	मरुधर ग्रामीण बैंक	5500
8	508614/20.03.18	भारतीय स्टेट बैंक भोपालगढ़	141600
योग			217600

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर प्रकरणों की राशि को राजकोष में जमा कराने की वास्तविक रिपोर्ट सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रगति से अवगत करावें तथा समस्त कोषाधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम 5 व 6 की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

3.5.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 68.77 लाख

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा **वृद्धावस्था**, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 9(i) के अनुसार पेंशन पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जायेगी एवं मृत्यु की तिथि तक देय पेंशन की अनाहरित समस्त राशि व्यपगत हो जायेगी तथा नियम 7(iii) के अनुसार विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में पेंशन की वैधता उनके पुनर्विवाह न करने तक होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन मॉड्यूल में जनित “ पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट “ की जांच के दौरान पाया गया कि 25 कोषाधिकारियों एवं 118 उप कोषालयों के द्वारा पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह की तारीख के पश्चात कुल 775 नमूना जांच प्रकरणों में भुगतान की गई राशि ₹ 68,77,250/- को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या -18 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर “ पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट “ में प्रदर्शित शत-प्रतिशत प्रकरणों में मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया में त्वरित आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.5.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 0.39 लाख

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा **वृद्धावस्था**, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 16(II) के अनुसार लाभार्थी को पेंशन राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

राजएसएसपी मॉड्यूल में जनित “ डुप्लीकेट अकाउन्ट पेंशनर इन मास्टर डिस्ट्रीक्ट वाईज “ रिपोर्ट में प्रदर्शित होने वाले बैंक खातों के माध्यम से किये गये भुगतानों के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि कोषालय जालौर तथा उप कोष रतनगढ़ (चूरू) व डीडवाना (नागौर) के द्वारा एक से अधिक लाभार्थियों (परिवार सदस्यों से भिन्न) की पेंशन का एक ही बैंक खाते के माध्यम से तीन (03) प्रकरणों में छः (06) पेंशनरों को राशि ₹ 38,750/- का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -19 में दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे परिवार सदस्य से भिन्न पेंशनरों के प्रकरणों में राजकोष से किये गये अधिक भुगतान की राशि की खाता धारक से वसूली एवं पेंशन लाभ से वंचित रहे सही लाभार्थी की वास्तविक बैंक खाता संख्या प्राप्त कर, भुगतान करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.5.4 राजएसएसपी मॉड्यूल में पेंशनर के अपात्र होने की तिथि के पश्चात भी भुगतान किये जाने के संबंध में चैक (Check) लगाने का अभाव राशि ₹ 31.65 लाख

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि / 2013-14/ 3340 / दिनांक 15.04.2013 के द्वारा जोड़े गये प्रावधानानुसार वार्षिक आय ₹ 48,000/- से कम हो, महिला की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक हो तो पेंशन की पात्रता मानी जावेगी एवं आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। विभाग के समसंख्यक अन्य आदेश संख्या 8591 दिनांक 29.09.14 द्वारा इसके साथ यह और जोड़ा गया कि केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार/ राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या इनका पेंशनर हो तो इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

राजएसएसपी मॉड्यूल में " स्टॉप पेंशनर्स " एवं " डिस्ट्रीक्ट वाईज कैंसिलेशन " रिपोर्ट की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के कारण अपात्र रहे व्यक्तियों, पारिवारिक सदस्य के केंद्र / राज्य सरकार, निगम / उपक्रमों में सरकारी नौकरी पर कार्यरत होने से अपात्र रहे व्यक्तियों के लिए स्वीकृतियां जारी करने तथा पात्रता धारी पेंशनर के परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में आ जाने के उपरांत नियमानुसार अपात्र घोषित कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति को निरस्त नहीं करने के फलस्वरूप 16 कोषालयों एवं 77 उप कोषालयों के द्वारा नमूना जांच के दौरान पाये गये 374 प्रकरणों में पेंशन राशि ₹ 31,64,750/- का भुगतान कर दिया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -20 में दर्शाया गया है ।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों से पेंशन भोगियों के अपात्र घोषित करने की तिथि (*अपात्रता की अवधि व वसूली योग्य राशि की गणना करने के लिए*) तत्काल कोषालय / उप कोषालय को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने एवं अपात्र अवधि में भुगतान की गई राशि की गणना कर नियमानुसार उसकी वसूली कराने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.5.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 3.40 लाख

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5-एफ (थ-75) कोष / आईएफएमएस / एसएसपी /14127-14159 दिनांक 02.08.13 के बिन्दु संख्या 7 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृतियों में किसी प्रकार की अशुद्धि के कारण गलत लाभार्थी को भुगतान होने पर सम्पूर्ण दायित्व संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का होगा तथा उनके स्तर पर उसकी वसूली की जायेगी एवं ऐसी **अशुद्ध** स्वीकृतियों को रद्द कर दिया जायेगा ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को दोहरी स्वीकृतियां जारी करने से 01 (एक) कोषालय (जालौर) एवं 10 उप कोषालयों के द्वारा 22 प्रकरणों में राशि ₹ 3,40,500/- का दोहरा / अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -21 में दर्शाया गया है ।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सही-सही करवाकर समस्त दोहरी स्वीकृतियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने एवं दोहरे भुगतान की राशियों को संबंधित से वसूली करने के लिए समुचित व्यवस्था करवाएं ।

3.5.6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP) मॉड्यूल की "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज" रिपोर्ट एवं "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट के अन्तर्गत भुगतान से संबंधित माह व राशि के अन्तर का अंक मिलान न होना

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राजएसएसपी (RAJSSP) के लिए तैयार किये गये मॉड्यूल की "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज" रिपोर्ट में किसी भी पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात उसके बैंक खाते में भुगतान की गई तथा वसूली कर राजकोष में जमा कराने योग्य माह वार राशि, मृत्यु / पुनर्विवाह की दिनांक, स्वीकृति निरस्त करने की दिनांक इत्यादि विवरण प्रदर्शित होता है एवं इसके अतिरिक्त "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट में किसी पेंशनर को किये गये भुगतान से संबंधित माहवार राशि, टी.वी. संख्या व दिनांक इत्यादि का परिपूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट में पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात किये गये समस्त वसूली योग्य भुगतानों को "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज " रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर " पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज " रिपोर्ट में एन.आई.सी. स्तर से आवश्यक प्रावधान करवाकर परिपूर्ण डाटा को प्रदर्शित करवाएं तथा "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट से मिलान कराये जाने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

3.5.7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RAJSSP) मॉड्यूल की विभिन्न रिपोर्ट्स में कुल पेंशनरों की संख्या एक समान न होना

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RAJSSP) के लिए तैयार किये गये मॉड्यूल की रिपोर्टों का आपसी मिलान करने पर पाया गया कि उनके आंकड़े एक समान न हो कर भिन्न दर्शाये गये थे जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

कोषाधिकारी चूरु एवं उप कोष रतनगढ़ की राजएसएसपी साईट पर जनित "सोशियल स्कीम वाईज मंथली एक्सपन्डिचर रिपोर्ट " एवं "फाईनेंशियल ईयरली सब ट्रेजरी वाईज एक्सपन्डिचर रिपोर्ट " के आपसी मिलान पर भुगतान राशि भिन्न-भिन्न होना पाई गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर मॉड्यूल की विभिन्न रिपोर्ट्स में एक ही डाटा को एक समान प्रदर्शित करने के लिए एन.आई.सी. स्तर से आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु कार्रवाई करवाएं ।

3.6 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 के अन्तर्गत अदावी रही जमा राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह के लेखे बंद होने पर व्ययपगत मानी जानी चाहिये एवं उन्हें कोषाधिकारी को उचित राजस्व शीर्ष में जमा कराने हेतु सूची बनाकर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रेषित की जानी चाहिये किन्तु कोषाधिकारी बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर (ग्रामीण), प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा उपरोक्तानुसार अदावी शेषों की सूची व्यपगत करने हेतु प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषाधिकारियों की सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्रवाई करने हेतु प्रभावी निर्देश जारी करवाएं।

3.7 निजी निक्षेप खाते एवं अन्य जमा खाते

3.7.1 निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खातों के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 27 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत 335 निजी निक्षेप खाता धारकों से शेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -22 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के आधार पर संबंधित खाता धारक संस्था से अन्तर की जानकारी के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्राप्त किये जाने वाले सहमति प्रमाण पत्रों पर किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.7.2 कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेषों एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अन्तर ₹ 20.60 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर ₹ 1.05 करोड़

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये तथा अंतर की स्थिति में यथा शीघ्र अंक मिलान कर निराकरण किया जाना चाहिये।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के दिनांक 31.03.2020 तक के आंकड़ों के मध्य 16 कोषालयों के 71 खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 206014941.44 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 10459507.95 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या -23 में दर्शाया गया है। इनमें से दीर्घ राशियां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समय शिक्षा अभियान, वैर (कोषालय भरतपुर) के खाता संख्या 2221 (₹1.30 करोड़), अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (कोषालय दौसा) के खाता संख्या 3061 (₹ 0.52 करोड़) तथा कोषालय जयपुर सचिवालय में संधारित राजस्थान अनु. जाति / जन जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के खाता संख्या 3793 (₹ 1.98 करोड़), राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्सन कार्पो. लि. के खाता संख्या 3798 (₹ 1.00 करोड़) एवं राजस्थान पशुधन बोर्ड के खाता संख्या 3743 (₹ 0.80 करोड़) विद्यमान है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे अंतरों के शीघ्र निराकरण के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.8 मुद्रांक

3.8.1 अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 15.78 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट संबंधित कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जानी चाहिये एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार निस्तारण की कार्यवाही करनी चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान 09 कोषालयों में राशि ₹ 15,78,087/- के कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी मुद्रांक पाये गये एवं जिनके निस्तारण हेतु रिपोर्ट महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित नहीं की गई, इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अ

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय/ उप कोषालय	कम प्राप्त / कटे- फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको की राशि ₹	मुद्रांक किस्म
1	अजमेर	कोषालय अजमेर	1309800	अप्रचलित / अनुपयोगी
2	अलवर	कोषालय अलवर	90475	अप्रचलित / अनुपयोगी
3	बारां	कोषालय बारां	25000	मिसप्रिंट
4	भरतपुर	कोषालय भरतपुर	15500	मिसप्रिंट
5	भीलवाड़ा	कोषालय भीलवाड़ा	45530	कटे / फटे
6	नागौर	कोषालय नागौर	78282.10	अप्रचलित / अनुपयोगी
7	सिरोही	कोषालय सिरोही	10000	अमुद्रित
8	सवाई माधोपुर	कोषालय सवाई माधोपुर	500	कटे / फटे
9	हनुमानगढ़	कोषालय हनुमानगढ़	3000	कम प्राप्त
योग			1578087.10	

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे संबंधित कोषाधिकारियों को उपर्युक्त मुद्रांको के निस्तारण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान करें।

3.8.2 जारी किये मुद्रांकों को डिफेस किये जाने का अभाव

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (आर्थिक मामलात) के परिपत्र संख्या : एफ5(थ-75) डीटीए/ आईएफएमएस दिनांक 01.11.2012 एवं पत्रांक 17907-18156 दिनांक 10.09.13 के

अनुसार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी द्वारा जारी किये गये विभिन्न स्टाम्पों से संबंधित जमा ई-चालानों को डिफेस किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान ई-ग्रास साईट " लॉग इन " का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों द्वारा जारी किये गये मुद्रांकों को डिफेस नहीं किया गया था, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय	कोष / उपकोष का नाम
1	अजमेर	कोषालय अजमेर, उपकोष किशनगढ़
2	अलवर	उपकोष बानसूर, थानागाजी
3	इंगरपुर	कोषालय इंगरपुर
4	करौली	उपकोष हिण्डौन सिटी
5	सिरोही	उपकोष शिवगंज, आबूरोड़,
6	उदयपुर (ग्रामीण)	कोटड़ा
7	पाली	खारची (मारवाड़ जंक्सन)

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर निदेशालय स्तर से समस्त कोषाधिकारियों के लिए प्रकरण में सख्त निर्देश जारी करवाएं।

3.9 दीर्घकालीन ऋण / अग्रिम

3.9.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 38.31 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण दिनांक 1.04.2004 से राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों द्वारा उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 37 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 38,30,79,334.10 भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 के स्थान पर उक्त निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने के कारण राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या -24 में दर्शाया गया है।

निजी निक्षेप खाता में जमा राशि के निस्तारण हेतु इस कार्यालय की ओर से एक अ.शा. पत्र क्रमांक: को.नि.प्र./ 2017-18 / के-51 / 770 दिनांक 22.10.2018 जारी कर सचिव, वित्त (राजस्व) का भी ध्यानाकर्षण किया गया था। साथ ही निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा भी उनके पत्र क्रमांक: एफ.5/एलटीए/एचबीए/पीडी 473/ 2941-981

दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग का ध्यानाकर्षण कर समस्त कोषाधिकारियों एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया था, किंतु राज्य सरकार के सक्षम स्तर (वित्त विभाग) से इस संबंध में प्रभावी व सकारात्मक कदम नहीं उठाये जाने के कारण पी.डी. खाता के अन्तर्गत जमा राशि में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 में नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही कर राजकोष का पुनर्भरण करवाएं।

3.9.2 भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली द्वारा भवन ऋण कटौती के लिए पी.डी.खाता संख्या 473 के संधारण का अभाव

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण दिनांक 1.04.2004 से राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों द्वारा उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

राज्य कर्मचारियों की भवन ऋण कटौती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली के द्वारा भवन ऋण कटौतियों को प्राप्त कर निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा कराने से संबंधित कोई अभिलेख संधारण नहीं किये जाने के कारण अवशेष राशि की समीक्षा नहीं की जा सकी।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर भुगतान एवं लेखाधिकारी से उपर्युक्त खाते का संधारण सुनिश्चित करावें।

3.9.3 वाहन अग्रिम पेटे दण्डनीय ब्याज की गणना नहीं करने के कारण वसूली कम करना राशि ₹ 0.32 लाख

राजकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार जारी किये जाने वाले अदेयता प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि वाहन अग्रिम की वसूली के दौरान ब्याज राशि ₹ 31,589/- की कम वसूली की गई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	ऋणि कार्मिक का नाम	ऋण का नाम	ब्याज की कम वसूल की गई राशि ₹	टिप्पणी
1	सवाई माधोपुर	श्री गिराज प्रसाद मीणा	वाहन ऋण	4572	-
		श्री पूनम चंद जैवरिया	वाहन ऋण	16905	-
2	चूरू	श्री बुधरमल ,प्रधानाध्यापक	वाहन ऋण	9213	-
3	झालावाड़	श्रीमती इंद्रा देवी	वाहन ऋण	899	-
योग				31589	

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित कार्मिकों से बकाया ब्याज की वसूली हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.9.4.1 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद् पुस्तिका के संधारण का अभाव

राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋण (वाहन व भवन ऋण) से संबंधित लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 5.7 के अनुसार वृहद् पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिये तथा बिंदु 5.12 के अनुसार ब्राँडशीट में मासिक योग लगाकर उसका मिलान कोषालय लेखा से करना चाहिये।

नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोष कार्यालय अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर(ग्रामीण), डूंगरपुर, बारां, नागौर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, उदयपुर(ग्रामीण), बूंदी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर(शहर), भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के रख-रखाव के लिए वृहद् पुस्तिका का परिपूर्ण संधारण नहीं किया गया था एवं न ही ब्राँडशीटों का मासिक योग लगाकर कोषालय लेखों से मिलान किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को कोषालयों के स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिका का संधारण पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित करें।

3.9.4.2 अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि विभिन्न ऋणी कार्मिक जिनकी किशतों का चुकारा हो गया उनके द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोषालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार	क्र. सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार
1	अजमेर	31.03.19	09	भवन ऋण	8	दौसा	30.09.19	55	भवन ऋण
			07	वाहन ऋण	9	धौलपुर	30.11.19	08	भवन ऋण
2	बीकानेर	31.08.19	29	भवन ऋण	10	जयपुर (ग्रामीण)	31.03.19	04	वाहन ऋण
			02	वाहन ऋण				41	भवन ऋण
3	बूंदी	30.04.19	10	भवन ऋण	11	करौली	30.11.19	24	वाहन ऋण
			04	वाहन ऋण				22	भवन ऋण
4	भरतपुर	30.11.19	01	वाहन ऋण				04	वाहन ऋण
5	भीलवाड़ा	30.06.19	170	भवन ऋण	12	नागौर	30.06.19	10	भवन ऋण
			43	वाहन ऋण				05	वाहन ऋण
6	डूंगरपुर	31.03.19	34	भवन ऋण	13	उदयपुर (ग्रामीण)	30.09.19	08	भवन ऋण
			12	वाहन ऋण	14	जोधपुर (शहर)	31.10.19	18	भवन ऋण
7	हनुमानगढ़	31.10.19	26	भवन ऋण	15	जैसलमेर	31.10.19	36	वाहन ऋण
			01	वाहन ऋण				23	भवन ऋण
								02	वाहन ऋण

किंतु उनका दीर्घ कालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निस्तारण नहीं किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर इन दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 की अनुपालना हेतु कोषाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करवाएं।

3.10 अन्य अनियमिततायें

3.10.1 राजकीय लेन-देन करने वाली एजेंसी बैंक से दोहरी पास बुक के माध्यम से दैनिक लेखे स्वीकार करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 194 (एफ) के अनुसार दोहरी पासबुक के माध्यम से एजेन्सी बैंक शाखा के प्रबंधक व कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी द्वारा बारी-बारी से बदल कर दैनिक लेखे स्वीकार कर प्रत्येक प्रविष्टि के सामने सत्यापन के हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों एवं उपकोषालयों के द्वारा राजकीय लेन-देन करने वाली एजेंसी बैंक से प्राप्त दैनिक लेखे दोहरी पासबुक के माध्यम से स्वीकार करने की प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई जिसके फलस्वरूप दैनिक प्रविष्टियों पर लेखे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों का सत्यापन नहीं किया जा सका। ऐसे कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	दोहरी पासबुक से लेखे स्वीकार नहीं करने वाली निरीक्षित ईकाई का नाम
1	भीलवाड़ा	उपकोष माण्डलगढ़, माण्डल, आसीन्द (भीलवाड़ा)
2	सवाईमाधोपुर	उपकोष गंगपुर सिटी
3	बारां	उपकोष छीपाबडौद
4	जोधपुर (ग्रामीण)	उपकोष बिलाड़ा, भोपालगढ़, औसियां, शेरगढ़
5	झालावाड़	उपकोष खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना
6	राजसमंद	उपकोष रेलमगरा, कुम्भलगढ़, देवगढ़, आमेट
7	चित्तौड़गढ़	कोषालय चित्तौड़गढ़ एवं उपकोष निम्बाहेड़ा, कपासन
8	कोटा	उपकोष पीपल्दा
9	बाड़मेर	कोषालय बाड़मेर व उपकोष बायतु
10	टोंक	उपकोष उनियारा
11	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	कोषालय भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को सख्त अनुपालना हेतु निर्देशित करें।

3.10.2 बिल रजिस्टर का अपूर्ण संधारण

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 83 के अनुसार फार्म जी.ए. 59 में बिल रजिस्टर का संधारण किया जाना चाहिये।

उप कोष निम्बाहेड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में केवल बिल क्रमांक ही दर्ज किये गये थे, बिल का विवरण, नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर, भुगतान की तिथि आदि दर्ज नहीं की गई थी जिसके फल स्वरूप किसी बिल का सम्पूर्ण विवरण ज्ञात किया जाना आसान नहीं हो सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को उप कोष निम्बाहेड़ा के स्तर पर बिल रजिस्टर का परिपूर्ण रूप से संधारण के निर्देश प्रदान करें।

3.10.3 आईएफएमएस की "पे मैनेजर " सॉफ्टवेयर से जनरेट रिपोर्ट में टोकन संख्या के साथ दिनांक अंकित नहीं करना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत राजकीय दायित्वों का ऑन लाईन भुगतान हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर " पे मैनेजर " के अन्तर्गत जनरेट होने वाली

रिपोर्ट " डे वाइज सक्सेजफुल ट्रांजेक्सन रिपोर्ट फॉर ट्रेजरी बिल डेट वाईज " के अन्तर्गत पारित बिलों में टोकन संख्या के साथ-साथ दिनांक अंकित नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कोषालय में बिल टोकन होने की दिनांक व बिल पारित होने की दिनांक के बीच कुल कितने दिनों का समय लगा या प्रस्तुत बिल के भुगतान में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब तो नहीं किया गया। ऐसे कोषालयों व उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण	क्र.सं.	कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण
1	कोषालय जोधपुर (ग्रामीण) एवं उपकोष शेरगढ़	6	धौलपुर
2	कोषालय बीकानेर	7	जालौर
3	डीग (भरतपुर)	8	बाड़मेर
4	डूंगरपूर	9	हनुमानगढ़
5	दौसा		

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पे मैनेजर सॉफ्टवेयर में बिलों को टोकन संख्या आवंटित करने के साथ-साथ दिनांक का अंकन सुनिश्चित करवाकर प्रगति से अवगत करावें।

3.10.4 ई-ग्रास मोड्यूल में "डिफेस " चालान रिपोर्ट में डिफेस राशि तथा रिफण्ड राशि दर्शाने का अभाव

कोषालय बूंदी की ई-ग्रास लॉगिन में माह 03/19 से 04/19 की डी फेस चालान रिपोर्ट में डिफेस किये गये चालानों की डिफेस राशि तथा रिफण्ड राशि को प्रदर्शित नहीं किया गया था जिसके लिए प्राप्त जवाब में अवगत कराया गया कि इस संबंध में वांछित सुधार हेतु ई-कोषाधिकारी जयपुर को पत्रांक 185 दिनांक 28.05.19 लिखा गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, कोषाधिकारी बूंदी / ई कोषाधिकारी, जयपुर से उपरोक्त डिफेस राशि व रिफण्ड राशि को प्रदर्शित कराने की पालना के साथ-साथ समस्त कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

3.10.5 चैक, ड्राफ्ट, धनादेश इत्यादि की पंजिका का संधारण करने का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 48(i) के अनुसार सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने हेतु अधिकृत सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जी.ए. 51 में चैक, ड्राफ्ट, धनादेश इत्यादि की पंजिका का संधारण किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपकोष औसियां (जोधपुर ग्रामीण), पचपहाड़, मनोहरथाना (झालावाड़), देवगढ़, आमेट, कुम्भलगढ़ (राजसमंद), रामगंजमंडी (कोटा), कोषालय बाड़मेर के द्वारा उपरोक्त पंजिका का संधारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कोष / उप कोष में राजकोष में जमा कराने हेतु प्राप्त चैक / ड्राफ्ट, धनादेश की राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा होने बाबत मिलान नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्तानुसार पंजिका का संधारण करवाकर प्रगति से अवगत करावें।

3.10.6 उप कोष सांगोद (कोटा) द्वारा गृह किराया भत्ता का अधिक भुगतान राशि ₹ 0.44 लाख

राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ 12 (2) एफडी / (गुप2) 89 दिनांक 03.10.1989 के द्वारा जारी राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम 6 (b)(ii) के अनुसार कार्मिक का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर होने पर नये स्टेशन पर मकान की अनुपलब्धता

एवं सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने परिवार को पिछले स्टेशन पर छोड़ता है तो उसको पिछले स्टेशन पर मिलने वाले मकान किराया भत्ता की दर से ही नये स्टेशन पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 6 माह तक मकान किराया अनुमत्य है।

उप कोष सांगोद (कोटा) के वेतन बिलों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि श्री हर लाल सिंह, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग, कोटा से स्थानांतरण पर उपकोष सांगोद में दिनांक 23.02.2018 को कार्यग्रहण किया गया था जिसके अनुरूप दिनांक 23.08.2018 (6 माह पूर्ण) तक ही कोटा शहर की निर्धारित मकान किराया भत्ता दर (16 प्रतिशत) से मकान किराया भत्ता देय था तथा इसके पश्चात सांगोद कस्बा के लिए निर्धारित दर (8प्रतिशत) से मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिये था किन्तु दिनांक 23.08.2018 से 31.05.2019 की अवधि (9 माह 9 दिन) के दौरान मूल वेतन राशि रु. 59100/- पर 16 प्रतिशत की दर से भुगतान किये जाने के कारण कुल राशि रु. 43925/- का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसके लिए उप कोषाधिकारी सांगोद द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक भुगतान की राशि की वसूली कर अवगत करा दिया जायेगा।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, कोषाधिकारी कोटा को संबंधित कार्मिक से वसूली करने हेतु निर्देशित करें ।

3.10.7 बैंक की वेबसाईट पर चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए / आईएफएमएस दिनांक 01.11.2012 के बिंदु संख्या 2(बी) के अनुसार बैंक की वेबसाईट पर प्रत्येक ऑनलाईन भुगतान के लिए एक युनिक आईडेन्टी फिकेशन नंबर यथा चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) युनिक जनरेट होता है।

ई- कोषालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि माह 03/2019 से 02/2020 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में ऑनलाईन चालान 7126 एवं मैन्युअल चालान 188 कुल 7314 चालानों के डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) अर्थात एक से अधिक GRN के लिए एक ही CIN जनरेट किये गये थे, जिसके फलस्वरूप उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। इस संबंध में कोषाधिकारी द्वारा किये गये बैंक से पत्राचार के जवाब में बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि ई-चालानों पर डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) तकनीकी कारणों से प्रदर्शित हो रहे थे जिसकी पुनरावृत्ति न होने हेतु आश्वस्त किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक स्तर से जनित डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं ।

3.10.8 राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 35.41 करोड़ को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने उपरांत देय दण्डनीय ब्याज राशि की गणना एवं वसूली का अभाव

भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई द्वारा वर्ष 2003 में जारी मेमारेण्डम ऑफ इन्ट्रक्सन के पैरा संख्या 5.11.(B)(a) के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी के द्वारा देरी से किये गये भुगतान पर दण्डनीय ब्याज की गणना कर संबंधित बैंक के लिंक सैल को सीधा सूचित किया जाना चाहिये तथा पैरा संख्या 5.11 (B)(b) के अनुसार संबंधित एजेंसी बैंक द्वारा उस राशि को दो सप्ताह की अवधि में राज्य सरकार को भुगतान किया जाना चाहिये।

ई-कोषालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया वर्ष 2019-20 की अवधि में विभिन्न बैंकों ने राजकीय राशि को सरकारी खाते में विलंब से जमा कराया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	विलम्ब से जमा कराई गई राशि ₹
1	भारतीय स्टेट बैंक	4247	240135494.45
2	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	188	1344086.00
3	बैंक ऑफ इण्डिया	38	149632.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ई-पे	14	647026.00
5	आई.डी.बी.आई.	06	111846208.00
	योग	4493	354122446.45

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर राजकीय खाते में विलंब से जमा कराई गई राशियों पर दण्डनीय ब्याज राशि की गणना हेतु इस कार्यालय को सहयोग व वसूली की कार्रवाई कर प्रगति से अवगत करावें।

3.10.9 रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 63 एवं सामान्य एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार कोषालयों एवं उप कोषालयों में कार्यरत भण्डारपाल / रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 31 उपकोषालयों द्वारा रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया था, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-25](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोष / उप कोष में भण्डार पंजिका, मुद्रांक पंजिका एवं कैशबुक संधारणकर्ता से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.10.10 रोकड़ बही के संधारण का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-प्रथम के नियम 48(i) के अनुसार रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 18 कोषालयों एवं 43 उप कोषालयों में रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -26](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-प्रथम के नियम 48(i) के अनुसार रोकड़ बही का संधारण करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

भाग-4

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निरीक्षण किये गये 40 कोषालयों एवं 122 उपकोषालयों के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी जांच में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है:-

- 4.1 सूचना सुरक्षा नियमावली उपलब्ध नहीं होना पाई गई।
- 4.2 उपयोगकर्ता / प्रचालकों के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन का प्रावधान न होना।
- 4.3 सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट / सूचनाओं आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव।
- 4.4 सभी कार्यस्थल हार्डवेयर एवं सहायक उपकरणों को विशेष पहचान कोड / नम्बर अंकित नहीं करना।
- 4.5 कार्यस्थल / सर्वर आदि में वायरसरोधी (Anti Virus) नवीनतम वर्जन स्थापित नहीं करना।
- 4.6 एप्लीकेशन द्वारा अंतिम लॉगिन (सफल/असफल एवं समय) कोषालय स्तर पर नहीं दर्शाया जाना।
- 4.7 कोषागार कार्मिकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी डेस्कटॉप में यूएसबी पोर्ट को निष्क्रिय नहीं किया गया।
- 4.8 कोषालय स्तर पर ऑडिट ट्रेल एवं लॉग उपलब्ध नहीं होना।
- 4.9 पासवर्ड एवं अन्य मुख्य डाटा एवं विषयवस्तु एनक्रिप्टेड रूप में संचित नहीं होती अर्थात् कोषागार कार्मिकों की पासवर्ड हिस्ट्री लॉग इन पर उपलब्ध नहीं हैं।
- 4.10 सिस्टम जनरेट की गई कुछ रिपोर्ट्स / सूचनाओं आदि पर समय व दिनांक दर्ज होता है किंतु कई रिपोर्ट्स / सूचनाओं पर समय व दिनांक दर्ज अभाव पाया जाना।
- 4.11 LAN में केबलिंग करने एवं LAN में कनेक्शन करते समय लागू मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
- 4.12 सभी एप्लीकेशन्स में उपयोगकर्ता आई डी को एक विन्यास योग्य संख्या के असफल प्रयासों पश्चात बंद नहीं करना, पाया गया।


अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे एन.आई.सी. स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित उपर्युक्त बिंदुओं की अनुपालना करवाकर प्रगति से अवगत करवाएं।

निष्कर्ष:-


विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण चार्ट संख्या - 4 में तथा वर्ष 2019-20 में पाये गये मुख्य आक्षेपों का विवरण चार्ट संख्या - 5 में दर्शाया गया है। बकाया आक्षेपों एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं की शीघ्र अनुपालना एवं भविष्य में आक्षेपों / कमियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं।

(चार्ट संख्या 4)

वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण



कोषालयों में वर्ष 2018-19 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में



परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. केकड़ी	10
			2. किशनगढ़	
			3. सरवाड़	
			4. नसीराबाद	
			5. पीसांगन	
			6. भिनाय	
			7. अजमेर (पेंशन)	
			8. पुष्कर	
			9. रुपनगढ़	
			10. अरांई	
2.	अजमेर	ब्यावर	11. मसूदा	1
3.	अलवर	अलवर	12. बहरोड़	14
			13. किशनगढ़बास	
			14. लक्ष्मणगढ़	
			15. राजगढ़	
			16. थानागाजी	
			17. बानसूर	
			18. मुण्डावर	
			19. तिजारा	
			20. रामगढ़	
			21. कठूमर	
			22. कोटकासिम	
			23. अलवर (पेंशन)	
			24. रैणी	
			25. नीमराणा	
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	26. बागीदौरा	6
			27. कुशलगढ़	
			28. गढी (परतापुर)	
			29. घाटोल	
			30. आनंदपुरी	
			31. सज्जनगढ़	
5.	बाडमेर	बाडमेर	32. चौहटन	10
			33. सिवाना	
			34. शिव	
			35. गुढामलानी	
			36. बायतु	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			37. रामसर 38. पचपदरा 39. धोरीमन्ना 40. सिणधरी 41. सेड़वा	
6.	भरतपुर	भरतपुर	42. बयाना 43. डीग 44. नदबई 45. भरतपुर (पेंशन) 46. कामां 47. नगर 48. रूपवास 49. वैर 50. कुम्हेर 51. पहाड़ी 52. भुसावर	11
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	53. हुरड़ा 54. सहाड़ा (मु. गंगापुर) 55. माण्डल 56. माण्डलगढ़ 57. शाहपुरा 58. आसीन्द 59. जहाजपुर 60. कोटड़ी 61. बनेड़ा 62. रायपुर 63. बिजौलिया	11
8.	बीकानेर	बीकानेर	64. कोलायत 65. लूणकरणसर 66. खजूवाला 67. नोखा 68. बीकानेर (पेंशन) 69. पूगल 70. श्रीडूंगरगढ 71. छत्तरगढ	8
9.	बूंदी	बूंदी	72. हिण्डोली 73. नैनवा 74. केशोरायपाटन 75. इन्द्रगढ 76. तालेडा	5

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
10.	बारां	बारां	77. छबड़ा	7
			78. शाहबाद	
			79. अटरु	
			80. छीपाबड़ौद	
			81. किशनगंज	
			82. मांगरोल	
			83. अन्ता	
11.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	84. बेगूं	10
			85. निम्बाहेड़ा	
			86. कपासन	
			87. भदेसर	
			88. गंगरार	
			89. राशमी	
			90. रावतभाटा	
			91. बड़ीसादड़ी	
			92. डूंगला	
			93. भूपालसागर	
12.	चुरु	चुरु	94. रतनगढ़	6
			95. सादुलपुर(मु.राजगढ़)	
			96. सरदारशहर	
			97. तारानगर	
			98. सुजानगढ़	
			99. बीदासर	
13.	दौसा	दौसा	100. बसवा	4
			101. लालसोट	
			102. सिकराय	
			103. महवा	
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	104. आसपुर	4
			105. सागवाड़ा	
			106. सीमलवाड़ा	
			107. बिच्छीवाड़ा	
15.	धौलपुर	धौलपुर	108. बाड़ी	4
			109. राजाखेड़ा	
			110. बसेड़ी	
			111. सेपउ	
16.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	112. अनूपगढ़	8
			113. श्रीकरणपुर	
			114. रायसिंहनगर	
			115. सूरतगढ़	
			116. पदमपुर	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			117. श्रीविजयनगर	
			118. सार्दुलशहर	
			119. घड़साना	
17.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	120. नोहर	6
			121. संगरिया	
			122. भादरा	
			123. रावतसर	
			124. पीलीबंगा	
			125. टिब्बी	
18.	जयपुर	जयपुर (शहर)	126. राजस्थान विधानसभा	1
19.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	127. आमेर	15
			128. चौमूं	
			129. चाकसू	
			130. कोटपूतली	
			131. मौजमाबाद	
			132. शाहपुरा	
			133. विराटनगर	
			134. जमवारामगढ़	
			135. फागी	
			136. सांभर	
			137. सांगानेर	
			138. बस्सी	
			139. वृद्धावस्था पेंशन, जयपुर	
			140. दूदू	
			141. किशनगढ़-रेनवाल	
20.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
21.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	-	0
22.	जैसलमेर	जैसलमेर	142. पोकरण	2
			143. फतेहगढ़	
23.	जालौर	जालौर	144. भीनमाल	8
			145. सांचोर	
			146. आहोर	
			147. रानीवाड़ा	
			148. बागौड़ा	
			149. सायला	
			150. जसवंतपुरा	
			151. चितलवाना	
24.	झालावाड़	झालावाड़	152. अकलेरा	7
			153. पचपहाड़	
			154. गंगधार	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			155. झालरापाटन	
			156. खानपुर	
			157. पिडावा	
			158. मनोहरथाना	
25.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	159. चिड़ावा	8
			160. खेतड़ी	
			161. उदयपुरवाटी	
			162. नवलगढ	
			163. झुन्झुनू (पेंशन)	
			164. बुहाना	
			165. मलसीसर	
			166. सूरजगढ	
26.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
27.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	167. बिलाड़ा	9
			168. औसियां	
			169. शेरगढ	
			170. फलौदी	
			171. भोपालगढ	
			172. लूणी	
			173. बावडी	
			174. बाप	
			175. बालेसर	
28.	कोटा	कोटा	176. दीगोद	5
			177. सांगोद	
			178. पीपल्दा	
			179. रामगंजमण्डी	
			180. कोटा (पेंशन)	
29.	नागौर	नागौर	181. डीडवाना	13
			182. मेड़ता	
			183. नावां	
			184. मकराना	
			185. परबतसर	
			186. डेगाना	
			187. जायल	
			188. लाडनूं	
			189. खींवसर	
			190. नागौर (पेंशन)	
			191. रियाबडी	
			192. कुचामनसिटी	
			193. मुण्डवा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
30.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	194. छोटीसादड़ी	4
			195. अरनोद	
			196. धरियावद	
			197. पीपलखूँट	
31.	पाली	पाली	198. बाली	9
			199. देसूरी	
			200. जैतारण	
			201. सोजत	
			202. खारची	
			203. रायपुर	
			204. रोहट	
			205. रानी	
32.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	207. बामनवास	6
			208. गंगपुरसिटी	
			209. खण्डार	
			210. बौली	
			211. चौथ का बरवाडा	
			212. मलारनाडूंगर	
33.	करौली	करौली	213. हिण्डौन	6
			214. नादौती	
			215. टोडाभीम	
			216. सपोटरा	
			217. मण्डरायल	
			218. मासलपुर	
34.	सीकर	सीकर	219. दांतारामगढ	7
			220. फतेहपुर	
			221. लक्ष्मणगढ	
			222. नीमकाथाना	
			223. श्रीमाधोपुर	
			224. सीकर (पेंशन)	
35.	सिरोही	सिरोही	226. आबूरोड	4
			227. पिण्डवाड़ा	
			228. रेवदर	
			229. शिवगंज	
36.	टोंक	टोंक	230. देवली	6
			231. मालपुरा	
			232. निवाई	
			233. टोडारायसिंह	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			234. उनियारा (अलीगढ)	
			235. पीपलू	
37.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
38.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	236. खैरवाड़ा	10
			237. मावली	
			238. सलूम्बर	
			239. वल्लभनगर	
			240. झाड़ोल (फलासिया)	
			241. गोगुन्दा	
			242. सराड़ा	
			243. कोटड़ा	
			244. लसाड़िया	
			245. ऋषभदेव	
39.	राजसमंद	राजसमंद	246. कुम्भलगढ	6
			247. नाथद्वारा	
			248. आमेट	
			249. देवगढ	
			250. रेलमगरा	
			251. भीम	
40.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
41.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
योग				251

परिशिष्ट संख्या-2

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	मुख्य कोषालय का नाम	क्र.सं.	अतिरिक्त कोषालय
1.	अजमेर	अजमेर	1	ब्यावर
2.	जयपुर	जयपुर (शहर)	2	जयपुर (सचिवालय)
			3	जयपुर (ग्रामीण)
			4	जयपुर (पीपीओ)
			5	ई-कोषालय
3	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	6	जोधपुर (ग्रामीण)
4	उदयपुर	उदयपुर	7	उदयपुर (ग्रामीण)

परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 एवं 3.1)

वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
1	अजमेर	-	-	04/2018 से 03/2019
		1	अराई	प्रारम्भ से 03/2019
		2	किशनगढ़	04/2018 से 03/2019
		3	केकड़ी	04/2018 से 03/2019
		4	नसीराबाद	05/2017 से 03/2019
2	अलवर	-	-	07/2018 से 06/2019
		5	लक्ष्मणगढ़	07/2018 से 06/2019
		6	राजगढ़	08/2017 से 06/2019
		7	कठूमर	08/2017 से 06/2019
		8	रामगढ़	08/2017 से 06/2019
		9	किशनगढ़बास	08/2017 से 06/2019
		10	तिजारा	08/2017 से 06/2019
		11	मुण्डावर	08/2017 से 06/2019
		12	बानसूर	08/2017 से 06/2019
		13	थानागाजी	08/2017 से 06/2019
3	ब्यावर	-	-	08/2018 से 08/2019
4	बाड़मेर	-	-	02/2019 से 12/2019
		14	पचपदरा	02/2019 से 12/2019
		15	बायतु	02/2019 से 12/2019
		16	सिवाना	02/2019 से 12/2019
		17	सिणधरी	प्रारम्भ से 12/2019
		18	गुढ़ामालानी	02/2019 से 12/2019
		19	धोरीमन्ना	प्रारम्भ से 12/2019
		20	सेड़वा	प्रारम्भ से 12/2019
		21	चौहटन	02/2019 से 12/2019
		5	बारां	-
22	अटरू			10/2016 से 10/2019
23	छीपाबडौद			10/2016 से 10/2019
24	किशनगंज			10/2016 से 10/2019
25	मांगरोल			10/2016 से 10/2019
6	बांसवाडा	-	-	04/2018 से 03/2019
		26	बागीदौरा	04/2018 से 03/2019
		27	गढी (परतापुर)	04/2018 से 03/2019
7	बीकानेर	-	-	08/2018 से 08/2019
		28	खाजूवाला	10/2016 से 08/2019
		29	पुगल	10/2016 से 08/2019
		30	छत्तरगढ़	10/2016 से 08/2019
8	बून्दी	-	-	05/2018 से 04/2019
		31	इन्द्रगढ़	05/2017 से 04/2019
		32	नैनवां	05/2017 से 04/2019
		33	हिन्डौली	05/2017 से 04/2019

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
9	भरतपुर	-	-	11/2018 से 11/2019
		34	डीग	11/2018 से 11/2019
10	भीलवाड़ा	-	-	07/2018 से 06/2019
		35	जहाजपुर	07/2017 से 06/2019
		36	मांडलगढ़	07/2017 से 06/2019
		37	शाहपुरा	07/2017 से 06/2019
		38	मांडल	07/2017 से 06/2019
		39	आसींद	07/2017 से 06/2019
11	चित्तौड़गढ़	-	-	01/2019 से 01/2020
		40	निम्बाहेड़ा	01/2018 से 01/2020
		41	कपासन	01/2018 से 01/2020
		42	रावतभाटा	01/2018 से 01/2020
12	चुरू	-	-	04/2018 से 04/2019
		43	रतनगढ़	04/2018 से 04/2019
		44	सरदारशहर	04/2017 से 04/2019
		45	तारानगर	04/2017 से 04/2019
		46	सादुलपुर (राजगढ़)	04/2017 से 04/2019
13	डूंगरपुर	-	-	07/2018 से 07/2019
		47	सागवाडा	07/2018 से 07/2019
		48	आसपुर	08/2017 से 07/2019
		49	सीमलवाड़ा	08/2017 से 07/2019
		50	बिच्छिवाड़ा	08/2017 से 07/2019
14	दौसा	-	-	06/2018 से 09/2019
		51	लालसोट	04/2017 से 09/2019
		52	बसवा	04/2017 से 09/2019
		53	सिकराय	04/2017 से 09/2019
		54	महवा	04/2017 से 09/2019
15	धौलपुर	-	-	12/2018 से 11/2019
		55	सेंपउ	09/2016 से 11/2019
16	श्रीगंगानगर	-	-	04/2018 से 03/2019
		56	सूरतगढ	04/2018 से 03/2019
		57	श्रीविजयनगर	04/2017 से 03/2019
		58	अनूपगढ़	04/2017 से 03/2019
		59	रायसिंहनगर	04/2017 से 03/2019
17	हनुमानगढ़	-	-	10/2018 से 10/2019
		60	नोहर	10/2017 से 10/2019
		61	भादरा	10/2017 से 10/2019
		62	रावतसर	10/2017 से 10/2019
18	जयपुर (शहर)	-	-	06/2018 से 07/2019
19	जयपुर (सचिवालय)	-	-	06/2018 से 05/2019
20	जयपुर (पेंशन)	-	-	06/2018 से 05/2019
21	जयपुर (ग्रामीण)	-	-	05/2018 से 03/2019
		63	आमेर	07/2017 से 03/2019
		64	चौमूं	05/2018 से 03/2019
		65	कोटपुतली	05/2018 से 03/2019
		66	शाहपुरा	07/2017 से 03/2019

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		67	जमवारागढ़	07/2017 से 03/2019
		68	बस्सी	07/2017 से 03/2019
		69	फागी	07/2017 से 03/2019
		70	चाकसू	07/2017 से 03/2019
		71	मौजमाबाद	07/2017 से 03/2019
		72	सांभर	05/2018 से 03/2019
		73	किशनगढ़ रेनवाल	प्रारम्भ से 03/2019
		74	सांगानेर	07/2017 से 03/2019
22	जालौर	-	-	01/2019 से 12/2019
		75	सांचौर	01/2018 से 12/2019
		76	चितलवाना	प्रारम्भ से 12/2019
		77	भीनमाल	01/2018 से 12/2019
		78	जसवंतपुरा	प्रारम्भ से 12/2019
		79	आहौर	01/2018 से 12/2019
23	जैसलमेर	-	-	10/2018 से 10/2019
24	जोधपुर (शहर)	-	-	10/2018 से 10/2019
25	जोधपुर (ग्रामीण)	-	-	01/2019 से 01/2020
		80	बिलाड़ा	02/2018 से 01/2020
		81	भोपालगढ़	02/2018 से 01/2020
		82	औसियां	01/2019 से 01/2020
		83	फलोदी	01/2019 से 01/2020
		84	शेरगढ़	02/2018 से 01/2020
26	झालावाड	-	-	10/2018 से 09/2019
		85	पचपहाड़	11/2017 से 09/2019
		86	मनोहरथाना	05/2016 से 09/2019
		87	अकलेरा	11/2017 से 09/2019
		88	खानपुर	11/2017 से 09/2019
		89	झालारापाटन	11/2017 से 09/2019
27	झुंझुनू	-	-	02/2019 से 02/2020 (लॉकडाउन के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका)
		90	झुंझुनू (पेंशन)	02/2017 से 02/2020
		91	मलसीसर	प्रारम्भ से 02/2020
		92	सूरजगढ़	प्रारम्भ से 02/2020
28	करौली	-	-	10/2018 से 10/2019
		93	हिण्डौन	10/2018 से 10/2019
		94	सपोटरा	11/2017 से 10/2019
29	कोटा	-	-	02/2019 से 12/2019
		95	पीपल्दा	02/2018 से 12/2019
		96	दीगोद	02/2018 से 12/2019
		97	सांगोद	02/2018 से 12/2019
		98	रामगंजमंड़ी	02/2018 से 12/2019
		99	पेंशन कोटा	02/2018 से 12/2019
30	नागौर	-	-	08/2018 से 06/2019
		100	खीवसर	10/2016 से 06/2019

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		101	रियांबड़ी	प्रारम्भ से 06/2019
		102	मेड़तासिटी	10/2017 से 06/2019
		103	डीड़वाना	10/2017 से 06/2019
31	प्रतापगढ़	-	-	02/2019 से 01/2020
32	पाली	-	-	01/2019 से 01/2020
		104	जैतारण	01/2018 से 01/2020
		105	खारची	01/2018 से 01/2020
		106	बाली	01/2018 से 01/2020
		107	सोजत	01/2018 से 01/2020
33	राजसमंद	-	-	07/2018 से 07/2019
		108	देवगढ़	04/2016 से 07/2019
		109	आमेट	04/2016 से 07/2019
		110	कुम्भलगढ़	04/2016 से 07/2019
		111	रेलमगरा	04/2016 से 07/2019
34	सवाई माधोपुर	-	-	09/2018 से 08/2019
		112	गंगापुर(सिटी)	10/2017 से 08/2019
35	सिरोही	-	-	06/2018 से 09/2019
		113	शिवगंज	07/2017 से 09/2019
		114	पिण्डवाड़ा	07/2017 से 09/2019
		115	आबूरोड़	07/2017 से 09/2019
		116	रेवदर	07/2017 से 09/2019
36	सीकर	-	-	05/2018 से 05/2019
		117	श्रीमाधोपुर	06/2017 से 05/2019
		118	लक्ष्मणगढ़	05/2018 से 05/2019
		119	खण्डेला	प्रारम्भ से 05/2019
		120	नीमकाथाना	05/2018 से 05/2019
37	टोंक	-	-	11/2018 से 11/2019
		121	उनियारा	10/2016 से 11/2019
		122	पीपलू	10/2016 से 11/2019
38	उदयपुर	-	-	12/2018 से 11/2019
39	उदयपुर (ग्रामीण)	-	-	08/2018 से 07/2019
		123	कोटड़ा	08/2016 से 07/2019
		124	ऋषभदेव	08/2016 से 07/2019
		125	लसाडिया	08/2016 से 07/2019
40	ई-कोषालय, जयपुर	-	-	03/2019 से 02/2020
41	भुगतान एवं लेखाधिकारी,नई दिल्ली	-	-	12/2018 से 02/2020

परिशिष्ट संख्या - 4

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.3)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों / उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित

अधिकारियों / कर्मचारियों संबंधी सूचना

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1.	अजमेर	101	69	65	4	-
2.	अलवर	105	86	59	27	-
3.	ब्यावर	36	22	19	3	-
4.	बाड़मेर	82	54	49	5	-
5.	बारां	69	33	28	5	-
6.	बांसवाड़ा	54	32	26	6	-
7.	बीकानेर	86	63	60	3	-
8.	बूंदी	60	44	36	8	-
9.	भरतपुर	103	77	45	32	-
10.	भीलवाड़ा	74	48	48	0	-
11.	चित्तौड़गढ़	69	43	43	0	-
12.	चूरु	56	45	28	17	-
13.	दौसा	55	45	42	03	-
14.	डूंगरपुर	44	30	30	0	-
15.	धौलपुर	50	35	20	15	-
16.	श्रीगंगानगर	66	52	47	5	-
17.	हनुमानगढ़	53	40	40	0	-
18.	जयपुर (शहर)	64	61	61	0	-
19.	जयपुर (ग्रामीण)	120	98	84	14	-
20.	जयपुर (सचिवालय)	42	40	36	4	-
21.	जयपुर (पेंशन)	47	34	16	18	-
22.	जैसलमेर	33	16	16	0	-
23.	जालौर	61	33	33	0	-
24.	जोधपुर (शहर)	42	34	34	0	-
25.	जोधपुर (ग्रामीण)	82	64	63	01	-
26.	झालावाड़	70	37	13	24	-
27.	झुन्झुनू	62	58	58	0	-
28.	करौली	52	41	41	0	-
29.	कोटा	62	44	44	0	-
30.	नागौर	84	77	66	11	-
31.	प्रतापगढ़	47	22	16	6	-
32.	पाली	80	50	44	6	-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
33.	राजसमंद	55	30	30	0	-
34.	सवाई माधोपुर	56	48	48	0	-
35.	सीकर	74	60	54	6	-
36.	सिरोही	48	28	28	0	-
37.	टोंक	64	50	45	5	-
38.	उदयपुर (शहर)	41	33	33	0	-
39.	उदयपुर (ग्रामीण)	91	54	45	9	-
40.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	06	06	06	0	-
41.	ई- कोषालय जयपुर	20	19	19	0	-
योग		2566	1855	1618	237	-

परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या -2.1)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा माह	प्रथम सूची (I)/द्वितीयसूची(II)	लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि	विलम्ब के दिन	लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि
1	बारां	08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
2	बीकानेर	04/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.05.19
		02/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.20
3	भरतपुर	08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
4	चित्तौड़गढ़	07/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.08.19
5	इंजरपूर	01/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	05	22.01.20
6	धौलपुर	04/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.05.19
		08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	03	20.08.19
		08/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.09.19
		11/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.11.19
		11/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.12.19
		02/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.20
7	जयपुर (शहर)	12/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.01.20
8	जयपुर (ग्रामीण)	04/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.05.19
		05/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	04	21.05.19
9	जैसलमेर	08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
		11/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.11.19
		02/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.20
10	झालावाड़	08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
		02/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.20
11	करौली	04/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.05.19
		11/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.11.19
		12/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.01.20
		01/2020	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.02.20
		02/2020	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.20
12	नागौर	08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
13	राजसमंद	11/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.11.19
14	टोंक	12/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.01.20
		08/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	02	19.08.19
15	उदयपुर (ग्रामीण)	11/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.11.19
16	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	11/2019	द्वितीय सूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	01	09.12.19
योग			प्रथम सूची (I)	19 मासिक लेखों के प्रकरण	01 से 05 दिन	
योग			द्वितीय सूची(II)	12 मासिक लेखों के प्रकरण	01 से 02 दिन	
प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची में विलम्ब होने वाले माहों का योग				31		

परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या -2.4)

कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या	क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या
1	अजमेर	17	22	जालौर	12
2	अलवर	6	23	जैसलमेर	24
3	ब्यावर	5	24	जोधपुर (शहर)	6
4	बाड़मेर	36	25	जोधपुर (ग्रामीण)	6
5	बांसवाड़ा	21	26	झालावाड़	13
6	बारां	8	27	झुन्झुनू	6
7	बून्दी	3	28	कोटा	4
8	बीकानेर	16	29	करौली	39
9	भरतपुर	16	30	नागौर	9
10	भीलवाड़ा	38	31	पाली	44
11	चित्तौड़गढ़	6	32	प्रतापगढ़	2
12	चूरु	1	33	राजसमन्द	6
13	दौसा	10	34	सवाई माधोपुर	16
14	धौलपुर	22	35	सिरोही	5
15	डूंगरपुर	8	36	सीकर	7
16	श्रीगंगानगर	11	37	टोंक	7
17	हनुमानगढ़	6	38	उदयपुर	14
18	जयपुर (सचिवालय)	13	39	उदयपुर (ग्रामीण)	22
19	जयपुर (शहर)	111	40	ई-कोषालय, जयपुर	134
20	जयपुर (ग्रामीण)	10	41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	15
21	जयपुर (पेंशन)	0		योग	755

परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.2)

लेखा शीर्ष 8782-102 " लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	7	0	137435930.86	4	0	44537147.73
2	अलवर	7	0	11819793.58	3	0	5525384.48
3	बांसवाड़ा	9	0	31434555.65	2	0	6278734.36
4	बारां	7	0	2550739.88	3	0	9541791.25
5	बाड़मेर	6	0	34827505.15	5	0	13213986.67
6	ब्यावर	2	0	8167453.00	1	0	300091.22
7	भरतपुर	3	0	8434865.86	1	0	823695.20
8	भीलवाड़ा	6	0	68730394.85	1	0	5980195.30
9	बीकानेर	25	0	167020166.30	13	0	47445477.10
10	बून्दी	2	0	962896.32	2	0	48483
11	चित्तौड़गढ़	3	0	9953226.38	3	0	223208922.16
12	चूरु	14	0	79755378.72	7	0	156023160.46
13	दौसा	3	0	18594758.44	0	0	0
14	धौलपुर	4	0	4946802.00	2	0	37911017.38
15	डूंगरपुर	3	0	18671288.21	0	0	0
16	श्री गंगानगर	12	0	42588575.40	9	0	24109153.04
17	हनुमानगढ़	11	0	17664921.41	8	0	28351685.01
18	जयपुर (शहर)	17	0	385743186.46	19	0	212009392.07
19	जयपुर (ग्रामीण)	6	0	12613539.00	3	0	35665519.99
20	जयपुर (सचिवालय)	1	0	154175.00	1	0	3057350
21	जैसलमेर	16	0	34734736.41	4	0	117601149.97
22	जालौर	7	0	15577475.31	6	0	38506790.27
23	झालावाड़	5	0	866854.00	6	0	284813805.52
24	झुन्झुनू	4	0	1030174.99	1	0	1279380.00
25	जोधपुर (शहर)	10	0	145520803.54	8	0	118911645.90
26	जोधपुर (ग्रामीण)	7	0	21743624.13	3	0	9682026.96
27	करौली	4	0	9792868.90	2	0	11427372.00
28	कोटा	9	0	80552057.24	13	0	26472732.06
29	नागौर	7	0	46974261.94	4	0	61794445.39
30	पाली	5	0	46327840.42	4	0	20803127.70
31	प्रतापगढ़	5	0	10935460.20	2	0	5760497.60
32	राजसमंद	3	0	32127619.27	3	0	26507088.60
33	सवाई माधोपुर	4	0	30266309.90	1	0	49290804.14

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
34	सीकर	4	0	9871787.90	3	0	8243947.76
35	सिरोही	3	0	5193704.75	1	0	646185.00
36	टोंक	9	0	16874690.36	2	0	7078002.01
37	उदयपुर	9	0	17314862.37	1	0	1468295.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	5	0	1075671.35	3	0	15851119.85
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	1	0	3124477.00	1	0	2102.00
योग		265	0	1591975432.45	155	0	1660171704.15

परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या -2.6)

लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) के अन्तर्गत माह मार्च 2020 तक बकाया रहे अन्तर्षों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बैंक का नाम	माह	नामें राशि ₹	जमा राशि ₹
1	अलवर	बैंक ऑफ बड़ौदा, अलवर मैन	06/2019	0	48459943.00
2	बाड़मेर	सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बालौतरा	05/2019	650.00	0
3	बीकानेर	भारतीय स्टेट बैंक, भुजिया बाजार	11/2019	8046.00	0
			12/2019	5318.00	0
			01/2020	8108.00	0
		भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक क्षेत्र	01/2020	200.00	0
4	श्रीगंगानगर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बड़ा मंदिर के पास	02/2020	0	429068.00
5	झालावाड़	सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, झालरापाटन	06/2019	2500.00	0
6	झुन्झुनु	इलाहाबाद बैंक, झुन्झुनु	01/2020	0	138661.00
7	जोधपुर (ग्रामीण)	सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हनुवंत स्कूल	06/2019	428096.00	0
8	सीकर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रानी सती रोड़	02/2020	0	322738.00
9	टोंक	सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक	09/2019	0	4362847.00
10	पाली	भारतीय रिजर्व बैंक, ई-कुबेर	04/2019	0	1289252.00
			05/2019	1222599.00	0
			06/2019	66653.00	0
11	सवाई माधोपुर	भारतीय रिजर्व बैंक, ई-कुबेर	04/2019	168722.00	0
12	टोंक	भारतीय रिजर्व बैंक, ई-कुबेर	04/2019	0	52908.00

			05/2019	52908.00	0
13	जयपुर (पेंशन)	भारतीय रिजर्व बैंक, ई-कुबेर	03/2020	750.00	0
14	जयपुर (ग्रामीण)	भारतीय रिजर्व बैंक, ई-कुबेर	03/2020	0	750.00
			योग	1964550	55056167

परिशिष्ट संख्या - 9

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.7)

आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित ए.सी. बिलों के अप्राप्त बकाया डी.सी. बिलों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा शीर्ष	नियंत्रण अधिकारी	माह	वाउचर संख्या	बिलों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	2029	रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर	3/2008	102	1	29217760
				02/2019	134253	1	1950000
				07/2019	34830	1	2600000
2	अलवर	2245	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	03/2013	92618	1	10350000
3	बीकानेर	2055	महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	03/2019	122592	1	826725
				02/2019	113362	1	786571
		2210	प्रचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा	03/2017	104295	1	2025435
		4210	महाविद्यालय, बीकानेर	03/2018	111226	1	212567144
		3425	निदेशक विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जयपुर	03/2019	132749	1	600000
				03/2019	132747	1	800000
03/2019	132748			1	200000		
4	जयपुर (शहर)	2055	निदेशक राज्य फॉरेंसिक लेबोरेट्री, जयपुर	03/2017	135386	1	23900000
				03/2018	137310	1	6650000
				02/2018	115502	1	8350000
				02/2018	115503	1	16150000
				03/2019	145963	1	26140000
				03/2019	145958	1	16197000
		2204	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	01/2015	102313	1	5700000
				03/2015	133440	1	960000
				03/2015	133438	1	18050000
				12/2018	110721	1	264248
				12/2018	110720	1	735000
5	जयपुर (सचिवालय)	2051	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा,	10/2016	40659	1	200000
				08/2018	35328	1	781570
				09/2018	41162	1	781570
				08/2018	34365	1	781570
				01/2019	73866	1	589980
				01/2019	79037	1	429880

			जयपुर	01/2019	79039	1	589980
6	जोधपुर (शहर)	2204	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	07/2019	19553	1	124700
7	पाली	2055	महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	12/2018	96596	1	1000000
				04/2019	7977	1	600000
				04/2019	7974	1	1000000
8	उदयपुर	2250	आयुक्त, देवास्थान विभाग, उदयपुर	03/2019	78867	1	500000
कुल योग						34	392399133

परिशिष्ट संख्या- 10

(संदर्भ पैरा संख्या -2.8)

प्रधान महालेखाकार व कोषालय की पुस्तकों के मध्य निजी निक्षेप खातों के शेष में अंतर का विवरण

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+) धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अजमेर	337	राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान, अजमेर	16136478.20	15994314.20	142164.00	0
		398	खण्डीय वन अधिकारी, अजमेर	42661055.75	43154991.75	0	493936.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	22448311.00	22452095.00	0	3784.00
		473	भवन निर्माण ऋण	3010651.00	3075151.00	0	64500.00
2	अलवर	5032	पंच निर्णय शुल्क	38468.00	31318.00	7150.00	0
3	बांसवाड़ा	473	भवन निर्माण ऋण	23600467.20	23461894.20	138573.00	0
4	बारां	1254	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां	4323292.00	4322628.00	664.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	17534620.83	17524719.83	9901.00	0
5	बाड़मेर	3340	ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, चौहटन	40125569.00	46071889.00	0	5946320.00
		473	भवन निर्माण ऋण	2280257.00	2354389.00	0	74132.00
6	भरतपुर	2221	ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, वैर	60446198.37	73421232.37	0	12975034.00
		2243	उप वन्यजीव वार्डन, भरतपुर	-20447.01	46761.99	0	67209.00
		473	भवन निर्माण ऋण	8200594.06	8170013.06	30581.00	0
7	भीलवाड़ा	473	भवन निर्माण ऋण	20252887.18	20226097.18	26790.00	0
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	1171283.00	1168636.00	2647.00	0
		710	होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाड़ा	1072756.00	1044058.00	28698.00	0
8	बीकानेर	3234	कार्यक्रम निदेशक	68463.00	68097.00	366.00	0
		3297	प्राचार्य, राजकीय विधि	2528747.00	2148747.00	380000.00	0

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
			महाविद्यालय, बीकानेर				
		3302	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	1197652.00	923236.00	274416.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	17768554.00	17735897.00	32657.00	0
		5828	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	1358004.60	1571977.60	0	213973.00
		762	अति जिला शिक्षा . क अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, बीकानेर	237181666.82	237190166.82	0	8500.00
		764	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी (प्रारम्भिक), कोलायत	42985396.81	43011466.81	0	26070.00
		765	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी (प्रारम्भिक), लूनकरनसर	76828464.00	76709964.00	118500.00	0
		766	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी (प्रारम्भिक), श्रीङ्गरगढ़	47097652.00	47116894.00	0	19242.00
9	चुरू	2855	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय	5415731.00	5403677.00	12054.00	0
		2866	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरू	526750.00	525250.00	1500.00	0
		2870	खण्डीय वन अधिकारी, चुरू	39575.00	5058.00	34517.00	0
		2918	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	27648412.00	27660610.00	0	12198.00
		2919	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	24161149.24	24116709.24	44440.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	10969494.80	10981376.80	0	11882.00
		473	भवन निर्माण ऋण	12048837.30	12046173.30	2664.00	0
10	दौसा	3019	उपनिदेशक, कृषि (रविस्ता), दौसा	47805.00	73800.00	0	25995.00
		3056	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	9837107.00	9800872.00	36235.00	0
		3063	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, लालसोट	73733411.87	53737011.87	19996400.00	0
		3064	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी,	35658986.00	55658986.00	0	2000000.00

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
			सिकराय				
		3065	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, महवा	48622553.70	47655553.70	967000.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	13285297.00	12829913.00	455384.00	0
		479	न्यू पेंशन कन्ट्र्युब्युसन (NPS)	15215.20	10.00	15205.20	0
		5914	राजकीय कन्या महाविद्यालय, लालसोट	1230694.00	1228894.00	1800.00	0
11	धौलपुर	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	4779887.98	4777945.98	1942.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	20130807.62	20099571.62	31236.00	0
		5847	राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी	25463.00	33313.00	0	7850.00
12	डूंगरपुर	2493	खण्डीय वन अधिकारी, डूंगरपुर	21422932.57	21372932.57	50000.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	36533281.84	36529355.84	3926.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	27699523.07	27698857.07	666.00	0
		479	न्यू पेंशन कन्ट्र्युब्युसन (NPS)	7539.00	23271.00	0	15732.00
13	श्रीगंगानगर	2023	जिला जेल, श्रीगंगानगर	4118087.00	4100877.00	17210.00	0
		2033	कमांडेंट, होम गार्ड, श्रीगंगानगर	1018161.00	852701.00	165460.00	0
		2037	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर	35147797.00	35507797.00	0	360000.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	23030063.50	23012089.50	17974.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	5468842.00	5274302.00	194540.00	0
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	111467.00	111267.00	200.00	0
		5967	राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़	1625320.00	1640320.00	0	15000.00
14	जयपुर (शहर)	3484	केडी कल्याण निधि	19028821.64	18610419.64	418402.00	0
		3490	वर्कमेन कोम्प.	30877638.31	30335858.31	541780.00	0
		3634	होम लोन पुनर्भुगतान	0.00	1028830.00	0	1028830.00
		3637	रिकवरी ऑफ एच.ए.बी.	0.00	-5135725.00	5135725.00	0
		3638	रिकवरी ऑफ एच.ए.बी.	0.00	-269005.00	269005.00	0
		3680	सहायक आयुक्त II)	165230.00	146622.00	18608.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	51804840.18	50725680.00	1079160.18	0
		473	भवन निर्माण ऋण	6272408.00	5895587.00	376821.00	0
		474	भवन निर्माण अग्रिम	63357.00	14406.00	48951.00	0

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	1882078.00	451098.00	1430980.00	0
		543	आयुक्त देवास्थान विभाग	158986.64	154696.64	4290.00	0
		6123	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	222451280.00	222433472.00	17808.00	0
15	जयपुर (ग्रामीण)	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15197718.54	15204596.54	0	6878.00
		5807	कृषि उपज मंडी	1728686.00	3015514.00	0	1286828.00
16	जयपुर (सचिवालय)	3792	शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	281193868.00	281188538.00	5330.00	0
		479	न्यू पेंशन कन्ट्र्युब्युसन (NPS)	28686239.00	28591440.00	94799.00	0
		5295	राजस्थान राज्य ह्यूमन	14603976.00	14698775.00	0	94799.00
		6096	सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गर्वनेस,	384653.00	151321.00	233332.00	0
17	जोधपुर (शहर)	4023	अधिकाधी अभियंता, जल संसाधान विभाग,	1295978.00	1295305.00	673.00	0
		4040	अधीक्षक, एसोसियेटेड ऑफ ग्रुप, जोधपुर	261284.05	228834.05	32450.00	0
		4144	अधिकाधी अभियंता, सिंचाई खण्ड II-	726.00	2336584.00	0	2335858.00
		5850	फाईनेशियल कॉम्प, कृषि विश्वविद्यालय,	599024066.00	599020786.00	3280.00	0
18	जोधपुर(ग्रामीण)	4529	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, शेरगढ	39782926.83	39229678.83	553248.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	11926664.00	11911707.00	14957.00	0
19	जैसलमेर	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	13037566.40	13035419.40	2147.00	0
20	झालावाड़	4647	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झालरापाटन	14207215.00	14202397.00	4818.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	30351256.00	23790264.00	6560992.00	0
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	241249.00	211249.00	30000.00	0
		479	न्यू पेंशन कन्ट्र्युब्युसन (NPS)	0.00	6556907.00	0	6556907.00
21	झुंझुनू	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	14082487.00	14052098.00	30389.00	0
22	करोली	4373	अतिजिला शिक्षा क अधिकारी कम ब्लॉ	22842723.87	22842722.87	1.00	0
23	कोटा	2317	सहायक आयुक्त	1797774.00	1787142.00	10632.00	0
		2328	उपवन संरक्षक, वन्य पशु	2316545.10	2264139.70	52405.40	0
		2331	मेडिकल कॉलेज	56236877.00	56236780.00	97.00	0
		474	भवन निर्माण अग्रिम	544.00	407.00	137.00	0
24	नागौर	2579	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर	576554.00	651554.00	0	75000.00

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		2598	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य	7830862.00	8279384.00	0	448522.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	332119.00	333507.00	0	1388.00
25	पाली	1842	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,	219546.00	176546.00	43000.00	0
26	प्रतापगढ़	3421	उप परियोजना अधिकारी, जनजाति भेदीय निगम	210119131.00	207419131.00	2700000.00	0
27	राजसमंद	4202	उपवन संरक्षक,	6276488.00	6286948.00	0	10460.00
		471	भारतीय जीवन बीमा	15230662.00	14317806.00	912856.00	0
		475	भवन निर्माण अग्रिम (HDFC)	4373110.00	4346783.00	26327.00	0
		5561	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा	48077089.13	48087179.13	0	10090.00
28	सवाईमाधोपुर	1637	उपनिदेशक, टाईगर परियोजना, सवाईमाधोपुर	1430827.00	1528294.00	0	97467.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	6587372.00	6640472.00	0	53100.00
		474	भवन निर्माण अग्रिम	11705574.32	11709617.32	0	4043.00
29	सीकर	1587	अनुसूचित जाति विकास निगम, सीकर	16726669.00	16696669.00	30000.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15567605.00	15560818.00	6787.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	5174030.00	5171616.00	2414.00	0
		5698	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	14401841.46	14528341.46	0	126500.00
30	टोंक	4226	खण्डीय वन अधिकारी, टोंक	6797235.22	6771033.22	26202.00	0
31	उदयपुर(ग्रामीण)	1061	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खैरवाड़ा	27390276.60	27477336.60	0	87060.00
		474	भवन निर्माण अग्रिम	2500.00	0.00	2500.00	0
		989	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, सलूम्बर	5198017.00	5201771.00	0	3754.00
योग ₹				3020580404.79	3029184482.01	43964763.78	52568841.00

परिशिष्ट संख्या - 11

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्त दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
1	अजमेर	04/2018 से 03/2019	20.05.19	19.07.19	0	0
2	अलवर	07/2018 से 06/2019	16.09.19	18.02.20	03	03
3	ब्यावर	08/2018 से 08/2019	16.10.19	26.12.19	0	11
4	बाड़मेर	02/2019 से 12/2019	03.03.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5	बारां	11/2018 से 10/2019	27.12.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6	बांसवाड़ा	04/2018 से 03/ 2019	14.05.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
7	बीकानेर	08/2018 से 08/2019	16.10.19	01.01.20	0	17
8	बून्दी	05/2018 से 04/2019	19.06.19	13.08.19	0	0
9	भरतपुर	11/2018 से 11/2019	03.01.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
10	भीलवाड़ा	07/2018 से 06/2019	22.08.19	07.11.19	0	17
11	चित्तौड़गढ़	01/2019 से 01/2020	08.05.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
12	चूरू	04/2018 से 04/2019	24.06.19	26.11.19	03	03
13	झुंजरपुर	07/2018 से 07/2019	24.09.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
14	दौसा	06/2018 से 09/2019	26.11.19	15.06.20	04	21
15	धौलपुर	12/2018 से 11/2019	17.01.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
16	श्रीगंगानगर	04/2018 से 03/2019	21.05.19	16.09.19	01	27
17	हनुमानगढ़	10/2018 से 10/2019	19.12.19	23.06.20	04	04

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
18	जयपुर (शहर)	06/2018 से 07/2019	05.09.19	04.11.19	0	0
19	जयपुर (सचिवालय)	06/2018 से 05/2019	16.07.19	25.10.19	01	09
20	जयपुर (पेंशन)	06/2018 से 05/2019	04.07.19	12.12.19	3	09
21	जयपुर (ग्रामीण)	05/2018 से 03/2019	17.07.19	23.09.19	0	07
22	जालौर	01/2019 से 12/2019	21.02.20	18.05.20	0	28
23	जैसलमेर	10/2018 से 10/2019	12.12.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
24	जोधपुर (शहर)	10/2018 से 10/2019	04.12.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
25	जोधपुर (ग्रामीण)	01/2019 से 01/2020	11.06.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
26	झालावाड़	10/2018 से 09/2019	27.11.19	07.02.20	0	12
27	झुन्झुनू	02/2019 से 02/2020	निरीक्षण स्थगित	निरीक्षण स्थगित	निरीक्षण स्थगित	निरीक्षण स्थगित
28	करौली	10/2018 से 10/2019	03.01.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
29	कोटा	02/2019 से 12/2019	21.02.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
30	नागौर	08/2018 से 06/2019	20.08.19	22.10.19	0	03
31	प्रतापगढ़	02/2019 से 01/2020	04.03.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
32	पाली	01/2019 से 01/2020	20.03.20	02.06.20	0	14
33	राजसमंद	07/2018 से 07/2019	30.09.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
34	सवाई माधोपुर	09/2018 से 08/2019	17.10.19	26.11.19	0	0
35	सिरोही	06/2018 से 09/2019	26.11.19	21.02.20	0	27
36	सीकर	05/2018 से 05/2019	17.07.19	11.11.19	01	25
37	टोंक	11/2018 से 11/2019	17.01.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्त दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
38	उदयपुर	12/2018 से 11/2019	17.01.20	12.06.20	02	27
39	उदयपुर (ग्रामीण)	08/2018 से 07/2019	07.10.19	02.01.20	0	27
40	ई-कोषालय, जयपुर	03/2019 से 02/2020	21.07.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	12/2018 से 02/2020	22.05.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या					04	
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या					19	
प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या					17	
निरीक्षण कार्य स्थगित किये गये कोषालयों की संख्या					01	
योग					41	

परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.1)

उपादान भुगतान आदेशों / एलपीसी में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नही करने से अधिक भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
1	अलवर	थानागाजी	श्री गोरधन लाल शर्मा 1064026(R)	3089420 (R)	39684	2202
		लक्ष्मणगढ़	श्री पूरनमल शर्मा 1092404 (R)	3144438 (R)	12301	0049
		रामगढ़	श्री देवी सिंह शेखावत 1070468(R)	3099459 (R)	12822	2515
		तिजारा	श्रीमती सुनेरा 2012779 (R)	3145067 (R) कुल राशि ₹ 295263/- में से राशि ₹ 59580/- की वसूली चा. सं. 25 व 26 दिनांक 08.08.19 द्वारा की गई।	235683	दर्ज नहीं है
2	बाड़मेर	गुदामालानी	श्रीमती प्रियंका कुमारी 8100546 (R) SF NPS	8300864 (R)	267	0071
3	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	श्रीमती लक्ष्मी 2012290(R)	3139223 (R)	10837	0404
			श्री लकमा 1083701 (R)	3128075 (R)	1716	2406
4	बीकानेर	पूगल	श्रीमती गंगा 1061539(R)	3085316 (R)	28311	2202

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
		खाजूवाला	श्री बच्चा राम 1039817(R)	3050532 (R)	17221 4247	2210 2071
5	बूंदी	बूंदी	श्रीमती हेमंत कवंर 2012089 (R)	3135797 (R)	6742	8443
		नैनवां	श्रीमती द्रोपदी 2010410 (R)	3101870 (R)	61771	0049
6	भरतपुर	डीग	श्री भोले 1094070 (R)	3147453 (R)	20549	406
			श्रीमती लीना देवी 2010627(R)	3105654(R)	200000	0202
7	दौसा	सिकराय	श्री रमेश चंद बैरवा 1061846 (R)	3085707(R)	33866	0070
			श्रीमती भागन्ती मीना 2011152 (R)	3115802(R)	17672	2202
8	श्रीगंगानगर	श्रीरायसिंहनगर	श्री सुल्तानराम 1063796 (R)	3089062 (R)	7427	2700
			श्री बलविंदर सिंह 1061037 (R)	3084670 (R)	48830	2202
			श्री हीरासिंह 1082565 (R)	3125318 (R)	64089	2202
			श्री मदनलाल डाबला 1083649 (R)	3127902 (R)	50907	0070
9	हनुमानगढ़	भादरा	श्री महेन्द्र सिंह 1103856 (R)	3161838 (R)	176065	202
		हनुमानगढ़	श्री शिव नारायण शर्मा 651411 (R)	3097943 (R)	26570	202
10	जयपुर(ग्रामीण)	कोटपूतली	बबीता देवी 2010663 (R)	3106272(R)	22803	8443 (खाता संख्या 473)
			श्री किशन लाल सैनी 1072887 (R)	3104913(R)	51512	2053
			श्रीमति मंजूलता 2011461 एस.एफ(R)	3121679(R)	3427	3054
			श्री कृष्ण कुमार शर्मा 2011461 एस.एफ(R)	3123335(R)	3425	3054
			श्री सुदामा शर्मा 2011461 एस.एफ(R)	3123336(R)	3425	3054
			रामचंद्र शर्मा 2011461 एस.एफ(R)	3123337(R)	3425	3054
			श्री राम अवतार यादव 107907 (R)	3119191(R)	1287	0406
		शाहपुरा	रिछपाल स्वामी 1084657(R)	3130398 (R)	3066	0055
		जमवारामगढ़	श्री लाला राम मीणा 1063814 (R)	3089089 (R)	140982	8443 (खाता संख्या)

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष 473)
		फागी	राधा मोहन शर्मा 1091471(R)	3143087(R)	6228	2210
			श्रीमति बीना देवी 2010386(R)	3101270 (R)	5568	0202
			कु. चीकू बाल्मिकी 2010386(R)	3101271 (R)	2783	0202
		सांगानेर	श्रीमति फूला देवी 1064745(R)	3091007(R)	5102	2053
			श्रीमति धन्नी देवी 2009207(R)	3088352(R)	8422	2702
			श्री नरेन्द्र कुशवाह 2009207(R)	3088353 (R)	8422	2702
11	झालावाड़	पचपहाड़	श्री कमल कुमार शर्मा 8100291 (R) SF NPS	8300411 (R)	4621	0071
			श्रीमती कला देवी 8100291 (R) SF NPS	8300410 (R)	4622	0071
12	करौली	हिण्डौन	श्री रमेश चंद जाटव 1099021 (R)	3155632(R)	33384	0210
			श्री रामनिवास चौधरी 1086410 (R)	3134804(R)	28216	2210
13	नागौर	डीड़वाना	श्री रामू राम मेघवाल 1070880 (R)	3100201 (R)	8475	2406
14	पाली	पाली	श्री धान सिंह 1097480 (R)	3153415 (R)	55740	2071
			श्रीमती छैल कवर 423664 (R)	0291-3129256 (R)	7349	2071
15	राजसमंद	रेलमगरा	श्री परसाराम आमेटा 1043813 (R)	3055661 (R)	105340	8443
		कुंभलगढ़	श्री कन्ना राम भील 1031939 (R)	3040234 (R)	14549	दर्ज नहीं है।
			श्री सतीश चंद्र टेलर 1082211 (R)	3124685 (R)	351495	2202
16	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	श्री बाबू लाल महावर 1090101(R)	3141113 (R)	14481	2403
			श्री खिलाड़ी राम मीणा 1092594(R)	3144837(R)	146488	0059
			श्रीमति गीता देवी 2013058	3149072(R)	5496	दर्ज नहीं है।
			कालू राम बैरवा 2010622(R)	3105753(R)	479	2406
			राम प्रसाद बैरवा 2010622(R)	3105750(R)	479	2406
			मीठा लाल बैरवा	3105751(R)	479	2406

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
			2010622(R) श्री सीताराम बैरवा 2010622 (R)	3105752(R)	479	2406
17	सीकर	लक्ष्मणगढ़	श्रीमती रूकमा देवी 1076479 (R)	3113814 (R)	5138	2071
		श्री माधोपुर	श्री पोखरमल 1088497 (R)	3138547 (R)	1101	2403
18	उदयपुर (ग्रामीण)	उदयपुर (ग्रामीण)	श्रीमती निर्मला क्रिस्टना मैसी 1080946 (R)	3122630 (R)	127000	SIP
		ऋषभदेव	श्री छगनलाल मेघवाल 1084743 (R)	3130554 (R)	177981	HBA
योग					2440846	

परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.4.1)

बैंक शाखाओं द्वारा राज्य पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि की एकमुश्त वसूली नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	बैंक व शाखा का नाम	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹
1	बीकानेर	भारतीय स्टेट बैंक शाखा- दाउजी रोड़, बीकानेर	श्रीमती आयेशा	601708(R)	6345
			श्री माधोलाल श्रीमाली	600331(R)	37717
		भारतीय स्टेट बैंक शाखा- मीनासर, बीकानेर	श्री गोविन्द भार्गव	650218(R)	233310
2	झूंगरपूर	बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- खड़गदा	श्री मणि लाल	1047797(R)	28785
			श्रीमती लक्ष्मी देवी	555245(R)	85211
			श्रीमती राजकुमारी	554748(R)	162178
			श्री शंकर लाल भट्ट	565138(R)	1587
			श्री लीलाराम गर्ग	564897(R)	1792
			श्रीमती प्रमिला देवी दीक्षित	557696(R)	4004
			श्रीमती सूर्यकांता दीक्षित	564109(R)	1050
		बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- ओबेरी	श्री भीमराज मीना	582309(R)	63240
			श्रीमती कमला	113515 (R)	69526
			बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- चितरी	श्रीमती निर्मला देवी	558663 (R)
श्री भवानी शंकर पाटीदार	563093 (R)	945			
श्री किशन लाल पाटीदार	564612 (R)	693			
3	दौसा	भारतीय स्टेट बैंक, सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई	श्रीमती लक्ष्मी देवी	854312 (R)	21300
			श्री शम्भु दयाल शर्मा	164454 (R)	20256
		भारतीय स्टेट बैंक, सिकन्दरा	श्रीमती शांती देवी	115336 (R)	81576
		भारतीय स्टेट बैंक, मंडावर	श्रीमती शीला देवी	122740 (R)	18056
		बैंक ऑफ बड़ौदा, महवा	श्री मनोहर लाल शर्मा	75336 (R)	85260

क्र.सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	बैंक व शाखा का नाम	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹
1	बीकानेर	भारतीय स्टेट बैंक शाखा- दाउजी रोड़, बीकानेर	श्रीमती आयेशा	601708(R)	6345
			श्री माधोलाल श्रीमाली	600331(R)	37717
		भारतीय स्टेट बैंक शाखा- मीनासर, बीकानेर	श्री गोविन्द भार्गव	650218(R)	233310
			श्रीमती रामपती देवी	32310 (R)	76254
		बैंक ऑफ बड़ौदा, पावटा गुर्जर	श्रीमती विमला देवी	137870 (R)	43317
		यूको बैंक, बांदीकुई	श्रीमती कमला देवी	148405 (R)	420448
			श्रीमती चंद्रा देवी	115867 (R)	81367
4	जयपुर (पेंशन)	भारतीय स्टेट बैंक, बस्सी	श्रीमती पार्वती देवी मीना	171065(R)SF	555076
		भारतीय स्टेट बैंक, कोटपूतली	श्रीमती रूकमणी देवी	104187(R)SF	111992
योग					2215149

परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.7.1)

रूपांतरित पेंशन के रूप में सिविल पेंशनरों को अधिक/कम भुगतान

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
1	भीलवाड़ा	जहाजपुर	श्री अब्दुल जब्बार 1091356(R)	4106765(R)	5616	0
			श्री लखमा राम मीणा 1097229(R)	4114590(R)	5353	0
			श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा 1096754(R)	4113939(R)	13366	0
		मांडलगढ़	श्री बंशीलाल शर्मा 1083110(R)	4094087(R)	1993	0
			श्री भैरूलाल वैष्णव 1088943(R)	4103573(R)	7783	0
		शाहपुरा	श्री गोपाल स्वरूप शर्मा 1072317(R)	4074831(R)	12983	0
			श्री शब्बीर खान 1073984(R)	4078300(R)	4764	0
			श्रीमति सुनिता उपाध्याय 1087010(R)	4100671(R)	23766	0
		आसीन्द	श्री अहमद खान पठान 1060300(R)	4059400(R)	2221	0
			श्री ओम प्रकाश जोशी 1055913 (R)	4054415(R)	4586	0
2	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	श्री रण सिंह 1105677 (R)	4124510 (R)	3294	0
			श्रीमती मथुरा बाई	4125416	771	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			1106465 (R)			
			श्री सज्जन सिंह सोलंकी 1097843 (R)	4115370 (R)	3629	0
			श्री दिनेश चंद चतुर्वेदी 1092201 (R)	4107839 (R)	17273	0
		निम्बाहेड़ा	श्रीमती शकुन्तला सोनी 1095196 (R)	4111974 (R)	11200	0
			श्रीमती बिन्नो बाई 1070324 (R)	4071056 (R)	4040	0
		कपासन	श्री प्रकाश चंद हरिजन 1089778 (R)	4104692 (R)	14392	0
		रावतभाटा	श्री मोहम्मद सईद 1102679 (R)	4121028 (R)	8087	0
			श्रीमती विजय मालती 1105224 (R)	4123997 (R)	3088	0
			श्रीमती राधा नायर 1091441 (R)	4106865 (R)	10733	0
3	झालावाड़	अकलेरा	श्री चंद्र मोहन नाम 1079803 (R)	4089140 (R)	11883	0
		पचपहाड़	श्री सत्य नारायण उपाध्याय 1090627 (R)	4105854 (R)	2240	0
4	कोटा	कोटा (पेंशन)	श्री कल्याण 1095281 (R)	4112072 (R)	15647	0
			श्री शिम्भु दयाल कटारिया 1099358 (R)	4117180 (R)	7425	0
		सांगोद	श्री नाजीर मोहम्मद अंसारी 1090488 (R)	4105675 (R)	25757	0
5	राजसमंद	रेलमगरा	श्री सम्पत सिंह शक्तावत 1033822 (R)	4029926 (R)	3767	0
		आमेट	श्रीमती दुर्गा बाई पंवार 1087349 (R)	4101172 (R)	0	21132
			श्री वन्ना सिंह चौहान 1046438 (R)	4044013 (R)	1942	
		कुंभलगढ़	श्री मोड़ी लाल मेघवाल 1044817 (R)	4042151 (R)	1041	0
6	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	श्री बजरंग लाल शर्मा 1065110(R)	4064570(R)	767	0
			श्री राम हरि लाल मीणा 1075363(R)	4080783(R)	6941	0
योग					236348	21132

परिशिष्ट संख्या - 15

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.7.2)

पेंशन रूपांतरण के पश्चात घटी दर से पेंशन भुगतान की तिथि व रेस्टोरेशन की तिथि गलत अंकित होने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
1	बारां	बारां	श्री रविन्द्र कुमार गौतम	1086957 (R)
			श्री पुरुषोत्तम गौतम	1088517 (R)
			श्री प्रहलाद	1087049 (R)
			श्री रामस्वरूप	1088158 (R)
			श्री शिवराज सिंह	1088118 (R)
			श्री मांगी लाल मेघवाल	1088479 (R)
			श्री हेमराज मीणा	1089351 (R)
			श्री सत्य नारायण छीपा	1088816 (R)
			श्री नाथू लाल	1085670 (R)
			श्री भवानी सिंह कुशवाह	1089623 (R)
			श्री रामगोपाल सुमन	1086855(R)
			श्री दशरथ सिंह	1088755 (R)
			श्री रामगोपाल	1088887 (R)
			श्री पुरुषोत्तम शर्मा	1086940 (R)
		मांगरोल	श्री बंशी लाल	1063011 (R)
			श्रीमती कैलाशी बाई	1063624 (R)
			श्री सौभाग	1065266 (R)
			श्रीमती गुलजरीन बेगम	1080339 (R)
			श्री राम प्रसाद बैरवा	1086861 (R)
			श्री जोधराज नागर	1089910 (R)
			श्री रामचंद्र बैरवा	1088795 (R)
		किशनगंज	श्री बद्री लाल वर्मा	1062047 (R)
			श्री रमेश चंद्र राठौर	1064192 (R)
			श्री दुर्गाशंकर मेघवाल	1063869 (R)
			श्री मोहीबुर्हमान	1064197 (R)
			श्री ओम प्रकाश गोस्वामी	1065364 (R)
			श्रीमती शाहजंहा	1088157 (R)
			श्री अब्दुल गफ्फार	1085346 (R)
		छीपाबड़ौद	श्रीमती राधा रानी शर्मा	1058242 (R)
			श्रीमती विमला शर्मा	1057656 (R)
			श्री विनोद कुमार गर्ग	1055679 (R)
			श्री पूनम चंद चोरासिया	1063745 (R)
			श्री हीरा लाल वर्मा	1064395 (R)
			श्री मधुसूदन शर्मा	1092113 (R)
			श्री मूलचंद हूं	1090783 (R)
		अटरू	श्री जगदीश प्रसाद	1088622 (R)
			श्री शिवराज सिंह	1088236 (R)
			श्री मुन्नावर खान	1088522 (R)

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
			श्री बाबूलाल	1064329 (R)
			श्री रामकरण नागर	1062173 (R)
			श्री ओम प्रकाश शर्मा	1063533 (R)
			श्री घनश्याम	1064225 (R)
2	भीलवाड़ा	जहाजपुर	श्री दयाराम मीणा	10650490 (R)
			श्री सुरेश चंद पंचौली	1065350 (R)
			श्री तेजमल मीणा	1095143 (R)
			श्री आस्था लखारा	1086067 (R)
			श्री गुरुदयाल मीणा	1086561 (R)
			श्री छोटु सिंह क्षत्रीय	1086073 (R)
		माण्डलगढ़	श्री नारायण लाल लौहार	1089359 (R)
			श्री मुनीर मोहम्मद बेग	1091071 (R)
			श्री हीरालाल गुर्जर	1090476 (R)
		शाहपुरा	श्री द्वारका प्रसाद शर्मा	1087070 (R)
			श्री राम प्रसाद कीर	1087012 (R)
			श्री श्याम लाल	1084551 (R)
			श्री कैलाश चंद्र शर्मा	1085874 (R)
		मांडल	श्री नंद लाल शर्मा	1087667 (R)
			श्री शिव सिंह चूड़ावत	1084319 (R)
			श्री ओम प्रकाश रूणवाल	1087006 (R)
			श्री सत्य नारायण व्यास	1084844 (R)
			श्री प्रहलाद लाल टेलर	1085998 (R)
			श्री भैरू लाल रेगर	1084849 (R)
			श्री रतन लाल हरिजन	1082795 (R)
		आसीन्द	श्री कमरुद्दीन नीलगर	1081226 (R)
			श्री सोहन लाल कुम्हार	1086078 (R)
			श्री ईस्लाम मोहम्मद खान पठान	1084604 (R)
			श्री खुशीद अहमद शेख	1086755 (R)
			श्री विजय सिंह पंवार	1084848 (R)
			श्री भैरू लाल धोबी	1086719 (R)
			श्री बालू राम भील	1087670 (R)
		भीलवाड़ा	श्री शंकर सिंह	1082573 (R)
			श्री अश्विनी कुमार भट्ट	1087158 (R)
			श्रीमती बीना शर्मा	1085955 (R)
			श्रीमती निर्मला बोलिया	1087672 (R)
			श्री मदन लाल शर्मा	1082113 (R)
			श्री बालू लाल वेष्णव	1085975 (R)
			श्री दलपत सिंह	1087028 (R)
			श्रीमती सूरज देवी दरोगा	1085322 (R)
			श्री रमेश चंद सोढ़ानी	1087824 (R)
			श्री रामपाल हरिजन	1086484 (R)
			श्री योगेश कुमार वैष्णव	1083522 (R)
			श्री अर्जुन सिंह	1087013 (R)
			श्रीमती श्यामा शर्मा	1086478 (R)
			श्री कैलाश चंद शर्मा	1082245 (R)

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
3	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	श्री अनिल कुमार पाटिल	1087494 (R)
			श्री जगदीश चंद शर्मा	1087583 (R)
			श्री अब्दुल हमीद खान	1111284 (R)
			श्रीमती ज्योति कक्कड़	1109352 (R)
4	जयपुर (पेंशन)	जयपुर (पेंशन)	श्रीमती पदमनी नैयर	1083139 (R)
			श्री मानाराम	1079976 (R)
			श्री केदार लाल सैन	1080100 (R)
			श्री बाबू लाल साहू	1082366 (R)
			श्री महेश चंद शर्मा	1082693 (R)
			श्रीमती इन्दिरा पंवार	1081774 (R)
			श्री अशोक कुमार गुर्जर	1083118 (R)
			श्री सीताराम मीना	1083519 (R)
			श्री रामचंद्र सिंह	1082436 (R)
			श्री रामस्वरूप बलाई	1081987 (R)
			5	झालावाड़
श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता	1089760 (R)			
श्री मांगी लाल	1088809 (R)			
श्री कैलाश चंद शर्मा	1088675 (R)			
श्री कैलाश नारायण शर्मा	1088372 (R)			
मनोहरथाना	श्री नियामित तुला कुरेशी	1085404 (R)		
	श्री नारायण लाल पुष्पद	1085674 (R)		
	श्री अब्दुल हनीफ	1089882 (R)		
	श्री चैनसिंह भील	1089024 (R)		
	श्रीमती खुर्शीद बी.	1091699 (R)		
अकलेरा	श्री बाबूलाल	1063007 (R)		
	श्री नंद किशोर	1065185 (R)		
	श्री बद्री लाल राठौर	1063971 (R)		
	श्री फूलचंद मीणा	1084071 (R)		
	श्री चंद्र मोहन नाम	1079803 (R)		
	श्री नंद किशोर मीना	1083240 (R)		
	श्री रतन सिंह तंवर	1087322 (R)		
	डा. सतीश पारीक	1089864 (R)		
	श्री कन्हैया लाल	1084266 (R)		
	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	1088508 (R)		
खानपुर	श्रीमती सुशीला देवी नामदेव	1088734 (R)		
	श्री उमा शंकर	1089003 (R)		
	श्री दीपचंद मालव	1089313 (R)		
	श्री राम गोपाल	1088813 (R)		
	श्री बंशी लाल सैन	1089056 (R)		
	श्री बृज मोहन नागर	1088765 (R)		
	श्री प्रेम चंद मीणा	1090710 (R)		
	श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा	1090725 (R)		
झालरापाटन	श्री चंद्र प्रकाश	1086903 (R)		
	श्री भैरू लाल राठौर	1085765 (R)		
	श्री रत्ती राम	1088121 (R)		

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
			श्री राधेश्याम राठौर	1088741 (R)
			श्रीमती आशा शर्मा	1090165 (R)
			श्रीमती कौशल्या देवी	1089093 (R)
			श्री मांगी लाल मेहर	1089096 (R)
			श्री भैरू लाल शर्मा	1085067 (R)
			श्रीमती विमला बाला शर्मा	1089701 (R)
			श्री मदन गोपाल सोनी	1089590 (R)
			श्री नाराण लाल बागड़ी	1088123 (R)
			श्रीमती शहनाज बेगम	1088812 (R)
		झालावाड़	श्रीमती चंद्रकला मीणा	1088969 (R)
			श्री प्रकाश चंद्र शर्मा	1089911 (R)
			श्री गंगा राम भील	1085429 (R)
			श्रीमती बतुल बाई	1083768 (R)
			श्री भैरू लाल	1086237 (R)
			श्री विष्णु प्रकाश बाथला	1090116 (R)
			श्री कैलाश चंद्र पांचाल	1088521 (R)
			श्रीमती लीला टांक	1089723 (R)
6	कोटा	पीपल्दा	श्री कैलाश चंद्र	1090642 (R)
			श्री जोधराज सिंह	1104175 (R)
			श्री मदन मोहन मीणा	1106655 (R)
			श्रीमती नेहरू निशा मंसूरी	1096288 (R)
			श्री गोपाल लाल	1089083 (R)
		सांगोद	श्री नंद लाल कुशवाह	1107953 (R)
			श्री कन्हैया लाल मेहता	1106792 (R)
			श्री बाबू लाल वर्मा	1108583 (R)
			श्री सोहन लाल गुप्ता	1089699 (R)
		रामगंजमंडी	श्री भवंर सिंह	1083534 (R)
			श्री अशोक कुमार जैन	1088869 (R)
			श्रीमती लीला बाई	1102036 (R)
			श्री रामजी सिंह यादव	1106470 (R)
			श्री नरेन्द्र तिवाड़ी	1086417 (R)
		दीगोद	श्री कजोड़ लाल मीना	1089080 (R)
			श्री लियाकत अली खान	1108063 (R)
			श्री हंसराज नागर	1108455 (R)
श्रीमती पदमा सोलंकी	1104537 (R)			
कोटा (पेंशन)	श्री शिवचरण सोनी	1106430 (R)		
	श्री ऋषभ चंद जैन	1105809 (R)		
	श्री नंद लाल गोचर	1106596 (R)		
	श्री धनराज नागर	1104149 (R)		
	श्री दुष्यंत कुमार दाधीच	1108668 (R)		
	श्री गिरीजा दाधीच	1103592 (R)		
	श्री ओम प्रकाश पांचाल	1108544 (R)		
	श्री सत्य नारायण यादव	1106346 (R)		
	श्रीमती प्रेमलता वर्मा	1106987 (R)		
	श्री बाबू लाल	1107860 (R)		

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
			श्री भोजराज दूढारा	1106348 (R)
			श्रीमती रूकमणी शर्मा	1108457 (R)
			श्रीमती पदमा दाधीच	1108099 (R)
7	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	श्री अब्दुल कयूम शेख	1102141 (R)
			श्री मोहम्मद शरीफ	1111344 (R)
			श्री गोपाल लाल कुमावत	1110702 (R)
8	राजसमंद	आमेट	श्री भैरू लाल खटीक	1073253 (R)
			श्री विष्णु कुमार लावटी	1073046 (R)
			श्री विजय सिंह चूड़ावत	1070562 (R)
			श्री मीना झाला	1082195 (R)
			श्री गणपत सिंह कुम्पावत	1079513 (R)
			श्री भंवर सिंह पंवार	1067111 (R)
			श्री बाल कृष्ण आचार्य	1068142 (R)
			श्री मूल सिंह चूड़ावत	1068139(R)
			श्रीमती दुर्गा बाई परमार	1087349 (R)
			श्री मांगी लाल भट्ट	1071324 (R)
			श्री माधव सिंह	1984599 (R)
		देवगढ़	श्री भंवरपुरी गोस्वामी	1089888 (R)
			श्री प्रकाश चंद पोखरना	1093594 (R)
			श्री नंद लाल गर्ग	1091621 (R)
			श्री कालू सिंह रावत	1068426 (R)
			श्री चंद्र सैन सिंह राठौड़	1068657 (R)
		कुंभलगढ़	श्री रोशन लाल प्रजापत	1096896 (R)
			श्री सोहन सिंह कड़ेचा	1079358 (R)
			श्रीमती सुशीला खत्री	1097898 (R)
			श्री दुर्गाशंकर हरिजन	1098575 (R)
		रेलमगरा	श्री दामोदर लाल शर्मा	1067977 (R)
			श्री गोकुल सिंह चौहान	1091938 (R)
			श्री चतुर्भुज विजयवर्गीय	1093610 (R)
			श्री माधव लाल जाट	1095447 (R)
			श्री नाना लाल रैगर	1094329 (R)
			श्री जगदीश चंद्र जांगीड़	1096501 (R)
		राजसमंद	श्रीमती श्यामा पासी	1091451 (R)
			श्री सांवल राम गाड़ी	1087532 (R)
			श्री भैरू सिंह	1091220 (R)
			श्रीमती स्नेहलता शर्मा	1091032 (R)
			श्री गोविन्द कुमार शर्मा	1091540 (R)
			श्री निरंजन कुमार मोगरा	1088095 (R)
9	सवाई माधोपुर	गंगापुरसिटी	श्री रामावतार शर्मा	1068003 (R)
			श्री भंवर सिंह	1067635 (R)
			श्री सोभाग्यचंद शर्मा	1066246 (R)
			श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल	1068073 (R)
			श्री रमेश चंद्र शर्मा	1068409 (R)
			श्री रमेश	1090490 (R)
			श्री गिरीराज प्रसाद त्रिवेदी	1091776 (R)

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या
			श्री राम विलास मीणा	1090492 (R)
			श्री भगवान दास	1090527 (R)
			श्रीमती शांति	1090485 (R)
			श्री हर सहाय शर्मा	1091631 (R)
		सवाई माधोपुर	श्रीमती सम्पत गौतम	1092431 (R)
			श्री वृद्धीलाल वेड़वाल	1093059 (R)
			श्री शन्नू	1092841 (R)
			श्रीमती चंद्र कांता शर्मा	1092559 (R)
			श्री हरि नारायण मीणा	1092925 (R)
			श्री गिरीराज प्रसाद सैन	1092791 (R)
			श्री बाबू लाल मीणा	1092753 (R)
			श्रीमती सरोज शर्मा	1091851 (R)
			श्रीमती कुलविन्दर कौर	1091229 (R)
			श्री बाबू लाल महावर	1090101 (R)
10	टोंक	टोंक	श्री सूरज मल कोली	1087624 (R)
			श्री राम लक्ष्मण विजय	1088171 (R)
			श्री दिनेश कुमार सक्सेना	1087767 (R)
			श्री गोपाल कुम्हार	1087908 (R)
			श्री राधेश्याम नामा	1087972 (R)
			श्री मोहन लाल जाट	1087904 (R)
			श्री महावीर प्रसाद जैन	1085770 (R)
			श्रीमती गीता शर्मा	1085769 (R)
		पीपलू	श्री पन्ना लाल बैरवा	1063919 (R)
		उनियारा	श्री सुरेन्द्र सिंह	1063927 (R)
			श्री मोहन लाल धाकड़	1064533 (R)
			श्री संसार चंद्र पारीक	1064635 (R)

परिशिष्ट संख्या - 16

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.8)

पेंशन एरियर राशि में से आयकर (TDS) की कटौती नही करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	एरियर राशि ₹	वसूली योग्य आयकर राशि ₹	आयकर कटौती की गई राशि ₹	बकाया आयकर राशि ₹
1	भीलवाड़ा	मांडलगढ़	श्री भगवती लाल खटीक	1057151 (R)	604078	31740	0	31740
			श्री प्रेम चंद सोनी	1092259 (R)	898325	84932	0	84932
2	बारां	बारां	श्रीमती आशा शर्मा	1107168 (R)	670070	35375	34844	531
		किशनगंज	श्री ध्रुव कुमार	1071604 (R)	1073852	124962	55841	69121
3	बीकानेर	छत्तरगढ़	श्री बृज लाल	1095972 (R)	363853	1226	0	1226
4	चूरू	राजगढ़	श्री प्रताप सिंह कस्वां	1071861 (R)	372560	1693	0	1693
			श्री निसार अहमद चौहान	1076834 (R)	741336	52279	0	52279
5	दौसा	दौसा	श्री दीनदयाल शर्मा	1103976 (R)	581429	16937	0	16937

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	एरियर राशि ₹	वसूली योग्य आयकर राशि ₹	आयकर कटौती की गई राशि ₹	बकाया आयकर राशि ₹
6	डूंगरपूर	सीमलवाड़ा	श्री अशोक कुमार भोई	1087273 (R)	556022	13732	0	13732
			श्री लक्ष्मण लाल रोट	1062534 (R)	367249	3463	0	3463
7	जैसलमेर	जैसलमेर	श्री पुरखा राम	1087363 (R)	410702	3676	0	3676
			श्री मान सिंह	1085815 (R)	411786	3734	0	3734
			श्री किशन सिंह चौहान	1108389 (R)	386482	1897	0	1897
			श्री पृथ्वी सिंह भाटी	1105842 (R)	403005	2756	0	2756
			श्री भगवान सिंह भाटी	1106539 (R)	412126	3231	0	3231
8	झालावाड़	झालावाड़	श्रीमती चंद्रकला मीणा	1088969 (R)	1220182	171657	126899	44758
		अकलेरा	डा. सतीश पारीक	1089864 (R)	366515	1379	0	1379
9	करौली	हिण्डौन	डा. हरि सिंह मीना	1091405 (R)	617366	26492	0	26492
10	पाली	बाली	श्री अब्दुल करीम टॉक	1094328 (R)	727425	49384	22227	27157
11	सिरोही	पिण्डवाड़ा	श्री भंवर लाल ओझा	1089496 (R)	519281	9323	0	9323
						639868	239811	400057

परिशिष्ट संख्या - 17

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.9)

कम्प्यूटर पर संधारित पेंशन बैंक रजिस्टर में उत्पन्न मिस मैच मदों

(अधिक / कम भुगतान) का विवरण

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन बैंक रजिस्टर माह
1	अलवर	सिविल पेंशन	289	949032	2985	10802246	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	283	1126740	791	2983893	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	25	106876	232	448235	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	32	84398	87	205820	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	11	32229	74	128762	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	11	17240	29	67983	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	01	2300	0	0	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	02	4842	02	14172	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	02	1218	
		जज सिविल पेंशन	0	0	03	65872	
2	ब्यावर	सिविल पेंशन	31	46317	845	2633163	08/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	36	53783	324	1328224	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	13	29981	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	3974	12	45750	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	1	58	156462	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	77	21	160396	
		जज सिविल पेंशन	02	19434	0	0	
		जज पारिवारिक पेंशन	01	2425	0	0	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	0	0	01	19490	
3	बाड़मेर	सिविल पेंशन	2574	7527103	121	208941	12/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1210	2797494	118	303866	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	07	33663	02	3568	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	16	29781	0	0	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	70	130953	02	955	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	52	134586	16	22937	
		खादी सिविल पेंशन	03	9843	0	0	
4	बारां	सिविल पेंशन	10	5836	791	945269	10/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	16	33936	378	775223	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	546	154	156398	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	5379	84	165403	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	51	63966	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	19	58733	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	01	565	
5	बांसवाड़ा	सिविल पेंशन	404	1851513	410	1450229	03/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	311	1135492	204	721537	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	18	49356	08	19917	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	12	54190	08	20304	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	03	6588	0	0	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	13	31951	06	14141	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	0	0	01	664	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	02	2553	0	0	
6	बीकानेर	सिविल पेंशन	104	378400	373	579246	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	149	435398	497	1507455	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	9	20441	8	33180	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	2	9622	10	57709	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	9	12535	13	10243	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	8	15605	34	101034	
		खादी सिविल पेंशन	1	12566	0	0	
		अखिल भारतीय सिविल पेंशन	0	0	1	4181	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	2	5880	
		जज सिविल पेंशन	1	15767	3	13006	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	2	17006	
7	बून्दी	सिविल पेंशन	04	6763	54	109101	04/19

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन बैंक रजिस्टर माह
		सिविल पारिवारिक पेंशन	18	52040	55	179642	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	06	11232	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	1986	06	9987	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	05	3681	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	4475	07	35282	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	1704	
8	भरतपुर	सिविल पेंशन	1441	4808847	1412	5006413	11/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	897	2676391	432	1594321	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	88	214453	97	192274	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	54	247456	36	105637	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	32	74926	26	144316	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	47	70048	13	26491	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	07	37784	01	2853	
9	भीलवाड़ा	सिविल पेंशन	47	92718	3256	15711270	06/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	92	388198	1151	3885279	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	1	380	106	198536	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	7	19475	62	229061	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	2	2922	188	281469	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	2	6579	60	236383	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	2	6651	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	2	2662	
		जज सिविल पेंशन	0	0	3	5816	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	1	9363	
10	चित्तौड़गढ़	सिविल पेंशन	219	276558	1920	2986530	01/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	94	319386	702	2014191	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	23	52985	138	221633	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	14	30901	67	139465	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	7	7216	55	43777	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	1	20	21	38485	
		जज सिविल पेंशन	1	134	1	1867	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	1	7907	
11	चूरू	सिविल पेंशन	385	1128885	798	1220901	03/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	227	640706	296	1203253	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	23	38129	50	57503	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	15	57774	24	61020	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	13	27772	35	105508	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	23	52538	22	54295	
		एआईएस सिविल पेंशन	02	16353	01	4899	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	16254	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
12	डूंगरपुर	सिविल पेंशन	263	822692	1754	3423393	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	129	482345	384	868110	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	8	22862	48	80942	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	7	17284	11	12968	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	1	733	25	129884	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	10	22123	11	14116	
		खादी पारिवारिक पेंशन	1	1189	0	0	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	1	1062	
13	दौसा	सिविल पेंशन	380	726626	660	3553674	09/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	261	711227	291	1009390	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	15	21138	41	49677	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	12	21528	10	52825	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	09	7413	17	60061	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	06	18655	02	8505	
		खादी सिविल पेंशन	03	11357	0	0	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	02	1914	03	6976	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	5234	
14	धौलपुर	सिविल पेंशन	557	1283685	734	1472852	11/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	216	517679	196	690478	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	28	29871	68	111222	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	19	47166	18	58908	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	11	20893	21	20251	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	21	20115	11	17998	
		खादी सिविल पेंशन	01	312	0	0	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	02	25307	01	1065	
15	श्रीगंगानगर	सिविल पेंशन	71	136082	1162	1859805	3/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	82	366831	487	1311034	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	05	5696	95	138576	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	8645	30	85179	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	07	8048	58	59482	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	04	6110	51	118672	
		जज सिविल पेंशन	01	52756	01	24544	
		जज पारिवारिक पेंशन	01	4645	01	9397	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	0	0	01	3671	
16	हनुमानगढ़	सिविल पेंशन	10	28317	1041	984625	10/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	41	121800	442	1329107	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	58	88569	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	6253	22	59799	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	02	473	65	57085	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	02	32556	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	5	
17	जयपुर (पेंशन)	सिविल पेंशन	2120	7870855	2661	5518583	05/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	909	4120497	1397	4247816	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	39	199921	62	156290	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	44	180831	48	112875	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	66	271087	119	209245	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	119	783475	98	274058	
		खादी सिविल पेंशन	05	20200	09	7183	
		खादी पारिवारिक पेंशन	01	12088	02	2818	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	53	567842	31	919963	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	14	102267	13	366693	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	11	124678	02	10997	
		जज सिविल पेंशन	45	403275	45	809452	
		जज पारिवारिक पेंशन	03	10172	13	153967	
18	जालौर	सिविल पेंशन	74	162398	190	835649	12/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	47	168677	139	560297	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	03	7581	06	20189	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	5910	06	8773	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	04	15684	05	14270	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	04	17300	06	8361	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	02	22700	01	785	
19	जैसलमेर	सिविल पेंशन	110	280628	358	840744	10/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	147	386418	157	345004	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	06	25398	04	3418	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	4892	05	4887	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	02	2330	06	4659	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	28560	06	23669	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	207	
20	जोधपुर (ग्रामीण)	सिविल पेंशन	945	2656073	1806	3101184	01/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1098	2608704	896	2578816	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	07	37334	01	29965	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	14	27881	10	17025	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	39	92434	99	101530	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	26	66747	58	135290	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	01	141	
		खादी सिविल पारिवारिक पेंशन	01	1583	0	0	
		जज सिविल पेंशन	02	17140	04	31987	
		जज पारिवारिक पेंशन	01	2881	03	61344	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	04	13935	03	10814	
		ए.आई.ए.एस. सिविल पेंशन	14	51830	01	1807	
		ए.आई.ए.एस. पारिवारिक पेंशन	03	4935	0	0	
21	झालावाड़	सिविल पेंशन	58	10346	196	862098	09/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	43	116815	122	356053	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	10	3418	24	148119	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	0	0	11	17480	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	02	931	04	3084	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1	10	34165	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	1	14693	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	5965	
22	करौली	सिविल पेंशन	07	19599	315	4898673	10/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	14	35843	131	386364	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	637	24	27976	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	3972	14	36739	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	1257	07	12548	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1986	06	17516	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	01	843	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	02	9561	
23	कोटा	सिविल पेंशन	428	1473106	3754	7841288	12/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	304	642149	794	2066098	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	23	105661	220	416259	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	12	46616	51	117745	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	78	144548	235	304842	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	49	70016	120	277167	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	0 2	1997	
		जज सिविल पेंशन	03	19554	07	123384	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	14012	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	311	
24	नागौर	सिविल पेंशन	1479	5393331	1504	2987244	06/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1551	4197133	476	1233020	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	41	188518	33	41906	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	47	118758	15	27247	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	77	181467	39	39833	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	82	255829	19	52168	
		खादी सिविल पेंशन	01	2144	0	0	
		खादी पारिवारिक पेंशन	0	0	01	209	
		जज सिविल पेंशन	01	3163	0	0	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	0	0	01	2294	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
25	प्रतापगढ़	सिविल पेंशन	652	1562691	113	332277	12/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	155	467748	74	229098	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	29	80153	02	1026	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	14	41037	02	904	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	24	29376	04	1123	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	18	46798	04	4738	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	5131	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	01	3380	0	0	
26	पाली	सिविल पेंशन	51	134035	2691	12786457	01/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	66	231136	955	2888088	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	3914	36	97380	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	768	38	239146	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	03	2651	70	239246	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	05	27563	40	108519	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	1500	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	19159	
27	राजसमंद	सिविल पेंशन	140	352728	2046	14225591	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	131	520034	605	3027484	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	06	15821	100	230146	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	08	16352	28	56786	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	04	7989	51	196101	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	03	21756	12	72104	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	02	918	
		जज सिविल पेंशन	0	0	02	24806	
28	सवाई माधोपुर <i>(अधिक भुगतान के 36 प्रकरणों की राशि ₹ 144205/- की कोषाधिकारी द्वारा वसूली कर लिये जाने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)</i>	सिविल पेंशन	13	58948	233	441394	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	19	75940	163	515330	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	2	640	10	22274	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	2	8677	13	41493	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	11	27178	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	10	25529	
		एन.पी.एस. पारिवारिक	0	0	3	2982	
29	सीकर	सिविल पेंशन	75	124151	576	1433989	04/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	66	203035	294	1284531	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	09	367	197	226577	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	5137	121	98201	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	02	1325	67	76513	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	04	14288	57	91378	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	2	13920	

क्र. सं.	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन बैंक रजिस्टर माह
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	2	22271	
30	सिरोही	सिविल पेंशन	124	346267	1268	1967855	09/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	68	203614	394	649644	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	37	45253	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	4550	15	39236	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	04	10118	61	34783	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	04	5906	18	31907	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	02	397	
31	टोंक	सिविल पेंशन	808	1040979	1150	2046968	11/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	216	498604	386	758506	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	22	32077	46	61466	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	07	9312	15	30476	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	37	26832	54	52800	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	09	25758	25	88692	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	01	3464	0	0	
32	उदयपुर (ग्रामीण)	सिविल पेंशन	359	1062213	3812	5643159	07/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	238	960747	1212	313 7934	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	08	24368	80	105061	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	08	19430	41	82083	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	04	13502	154	122639	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	07	20030	51	99936	
		जज सिविल पेंशन	03	10065	01	9388	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	9388	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	0	0	01	2716	

परिशिष्ट संख्या - 18

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.2)

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराने का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल नमूना जांच प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	नसीराबाद	05	8500
		केकड़ी	05	28750
		किशनगढ़	05	24250
2	अलवर	बानसूर	05	34000
		थानागाजी	05	19000
		राजगढ़	05	32250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल नमूना जांच प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		लक्ष्मणगढ़	05	9000
		कठुमर	03	8250
		रामगढ़	05	34000
		किशनगढ़बास	05	10250
		मुण्डावर	05	17750
3	ब्यावर	ब्यावर	05	19750
4	बाड़मेर	धोरीमन्ना	05	42500
		सेड़वा	05	37250
		चौहटन	05	17250
		गुढ़ामालानी	05	75750
		पचपद्रा	05	36500
		बायतु	05	46750
		सिवाना	05	48750
		सिणधरी	05	68500
		बाड़मेर	05	36500
5	बारां	अटरू	06	37500
		छीपाबड़ौद	06	26000
		किशनगंज	03	22000
		मांगरोल	06	47500
		बारां	04	10500
6	बांसवाड़ा	बागीदौरा	02	1000
		गढ़ी परतापुर	03	5000
		बांसवाड़ा	05	31250
7	बीकानेर	खाजूवाला	05	54500
		पूगल	05	22250
		छत्तरगढ़	05	84250
8	बूंदी	बूंदी	05	25750
		हिण्डौली	05	22750
		नैनवां	05	20750
		इन्द्रगढ़	05	14250
9	भरतपुर	डीग	05	57250
10	भीलवाड़ा	जहाजपुर	05	10250
		मांडलगढ़	08	53750
		शाहपुरा	07	54750
		मांडल	08	40750
		आसींद	02	14500
		भीलवाड़ा	04	41500
11	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	06	93500
		कपासन	06	69750
		रावतभाटा	06	115500
		चित्तौड़गढ़	07	116250
12	चूरू	राजगढ़	08	51500
		तारानगर	09	76000
		सरदारशहर	12	35250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल नमूना जांच प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		रतनगढ़	06	13750
		चूरु	06	36750
13	दौसा	लालसोट	05	112250
		बसवा	05	52500
		सिकराय	05	42750
		महवा	05	4250
		दौसा	05	124250
14	डूंगरपूर	डूंगरपूर	05	46500
		बिच्छीवाड़ा	05	22250
		सीमलवाड़ा	05	106250
		सागवाड़ा	02	18500
		आसपुर	04	62750
15	धौलपुर	सैपड	05	66750
		धौलपुर	05	45250
16	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	07	14000
		श्रीविजयनगर	09	53250
		अनूपगढ़	08	39750
		श्रीरायसिंहनगर	10	43750
		श्रीगंगानगर	01	9000
17	हनुमानगढ़	नोहर	05	113250
		हनुमानगढ़	05	116250
		रावतसर	05	98500
		भादरा	05	123750
18	जयपुर (ग्रामीण)	जमवारामगढ़	04	13500
		आमेर	05	31500
		कोटपूतली	05	35000
		शाहपुरा	05	47500
		बस्सी	04	38000
		चौमूं	04	24250
		सांभरलेक	04	31500
		मौजमाबाद	04	36750
		फागी	04	44250
		चाकसू	04	22500
		सांगानेर	04	38250
19	जालौर	सांचौर	05	34000
		आहौर	05	47500
		भीनमाल	05	25500
		चितलवाना	05	31000
		जसवंतपुरा	05	48000
		जालौर	05	66750
20	जैसलमेर	जैसलमेर	05	42500
21	जोधपुर (ग्रामीण)	जोधपुर (ग्रामीण)	05	97250
		बिलाड़ा	05	106250
		भोपालगढ़	05	125250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल नमूना जांच प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		औंसियां	05	82500
		फलोंदी	05	129000
		शेरगढ़	05	100750
22	झालावाड़	झालावाड़	03	9500
		झालरापाटन	07	75250
		खानपुर	07	101250
		अकलेरा	05	41250
		मनोहरथाना	07	91750
		पचपहाड़	08	93250
23	करौली	हिण्डौन	05	37750
		करौली	05	57500
24	कोटा	दीगोद	06	72250
		सांगोद	08	77750
		रामगंजमंडी	08	104750
		कोटा (पेंशन)	06	69000
		पीपल्दा	07	83750
25	नागौर	डीडवाना	05	46500
		मेड़तासिटी	05	62750
		रियांबड़ी	05	64500
		खीवसर	04	33000
26	प्रतापगढ़	कोषालय प्रतापगढ़	06	74000
27	पाली	जैतारण	05	21750
		सोजत	05	41500
		पाली	05	57500
		खारची (मारवाड़ जंक्सन)	05	25500
		बाली	05	32250
28	राजसमंद	राजसमंद	10	89000
		रेलमगरा	09	64750
		कुम्भलगढ़	05	7500
		आमेट	08	42250
		देवगढ़	10	55500
29	सिरोही	सिरोही	05	39250
		रेवदर	05	52250
		आबूरोड़	05	50000
		पिण्डवाड़ा	05	12750
		शिवगंज	05	22500
30	सीकर	खण्डेला	05	22750
		लक्ष्मणगढ़	05	8500
		श्री माधोपुर	05	42500
		नीमकाथाना	05	18750
31	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	09	91250
		गंगापुर सिटी	07	71750
32	टोंक	उनियारा	08	61750
		पीपलू	04	17250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल नमूना जांच प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		टोंक	08	53500
33	उदयपुर (ग्रामीण)	उदयपुर (ग्रामीण)	04	29750
		लसाडिया	05	7500
		ऋषभदेव	05	30750
		कोटड़ा	05	34500
		योग	775	6877250

परिशिष्ट संख्या - 19

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.3)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय का नाम	कोष / उप कोष का नाम	एक से अधिक पेंशनरों के भुगतान से संबंधित बैंक खातों के प्रकरणों की संख्या	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान की राशि ₹
1	चूरू	रतनगढ़	01	02	6500
2	जालौर	जालौर	01	02	28750
3	नागौर	झीड़वाना	01	02	3500
		योग	3	6	38750

परिशिष्ट संख्या - 20

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.4)

पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृतियाँ जारी कर दिये जाने के कारण अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
1	अजमेर	अरांई	02	14500
		किशनगढ़	04	20250
		नसीराबाद	01	9500
		केकड़ी	03	7000
2	अलवर	बानसूर	05	29000
		थानागाजी	05	32500
		राजगढ़	05	54750
		लक्ष्मणगढ़	05	35000
		कठूमर	05	61250
		रामगढ़	05	15500
		किशनगढ़बास	05	33000

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		मुण्डावर	05	24250
3	ब्यावर	ब्यावर	05	17000
4	बारां	अटरू	02	23750
		छीपाबड़ौद	03	37000
		मांगरोल	01	12500
		बारां	03	14750
5	बांसवाड़ा	बागीदौरा	04	16500
		गढ़ी परतापुर	04	24250
		बांसवाड़ा	04	17000
6	बीकानेर	छत्तरगढ़	02	26250
		खाजूवाला	01	3500
7	बूंदी	बूंदी	05	11500
		हिण्डौली	05	23750
		नैनवा	05	30250
		इन्द्रगढ़	05	43750
8	भरतपुर	डीग	05	36250
9	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	04	138000
		शाहपुरा	04	42500
		मांडल	02	13500
		आसींद	05	51250
		भीलवाड़ा	02	16500
10	चूरू	राजगढ़	04	19500
		तारानगर	01	10500
		सरदारशहर	06	55500
		रतनगढ़	02	4000
11	डूंगरपूर	आसपुर	01	1500
		सागवाड़ा	03	23000
		सीमलवाड़ा	03	46500
		बिच्छीवाड़ा	02	1750
		डूंगरपूर	05	25500
12	दौसा	लालसोट	05	69750
		बसवा	05	65250
		सिकराय	05	41000
		महवा	05	56000
		दौसा	05	28500
13	धौलपुर	धौलपुर	03	23000
14	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	02	25250
		श्रीरायसिंहनगर	03	20500
		अनूपगढ़	01	7500
		श्रीविजयनगर	02	21000

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		सूरतगढ़	04	30500
15	हनुमानगढ़	नोहर	05	59000
		भादरा	05	59500
		हनुमानगढ़	05	13750
16	जयपुर (ग्रामीण)	जमवारामगढ़	04	43750
		आमेर	04	32500
		कोटपूतली	04	14500
		शाहपुरा	05	46500
		बस्सी	04	21000
		चौमूं	04	14750
		सांभरलेक	04	23000
		मौजमाबाद	04	71000
		फागी	04	39750
		चाकसू	04	51750
		सांगानेर	04	35500
17	जैसलमेर	जैसलमेर	14	126000
18	झालावाड़	झालरापाटन	07	70250
		खानपुर	02	18750
19	करौली	हिण्डौन	17	125500
		सपोटरा	04	47500
		करौली	12	86250
20	नागौर	डीड़वाना	05	69500
		रियांबड़ी	04	48750
		खीवसर	01	19500
21	राजसमंद	देवगढ़	02	36750
22	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	05	27500
23	सिरोही	सिरोही	01	1500
		रेवदर	04	51750
		आबूरोड़	05	80000
		पिण्डवाड़ा	01	12750
		शिवगंज	03	23250
24	सीकर	खण्डेला	05	50000
		लक्ष्मणगढ़	03	16750
		श्रीमाधोपुर	05	36000
		नीमकाथाना	05	13250
25	टोंक	उनियारा	02	8500
		पीपलू	03	24750
		टोंक	02	11250
26	उदयपुर (ग्रामीण)	उदयपुर (ग्रामीण)	03	11500
		लसाडिया	05	60250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		ऋषभदेव	05	47500
		कोटड़ा	01	1000
		योग	374	3164750

परिशिष्ट संख्या - 21

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.5)

राजएसएसपी के अन्तर्गत दोहरी स्वीकृतियां जारी करने के फलस्वरूप किये गये

दोहरे भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	दोहरे भुगतान की राशि ₹
1	जयपुर (ग्रामीण)	जमवारागढ़	01	1500
2	नागौर	डीड़वाना	01	3500
3	बांसवाड़ा	गढ़ी परतापुर	01	20000
4	चूरू	तारानगर	01	11000
5	जालौर	सांचौर	03	57500
		चितलवाना	02	45500
		जसवंतपुरा	04	54750
		आहौर	01	27000
		जालौर	04	43500
6	पाली	खारची (मारवाड़ जंक्सन)	03	50750
		जैतारण	01	25500
		योग	22	340500

परिशिष्ट संख्या-22

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

निजी निक्षेप खाताधारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त

नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
1	अलवर	1	सहायक निदेशक, हॉल्टिकलचर, अलवर	10
		2	कामगार क्षतिपूर्ति, बारां	11
		3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	18
		4	सहायक निदेशक, बाल विकास, अलवर	23
		5	कार्यकारी निदेशक, एफ.आई., अलवर	131
		6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना	146
		7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रैणी	162
		8	शिक्षा कॉर्पोरेटिव, अलवर	165
		9	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, अलवर	169
		10	सचिव, एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराना	180

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		11	सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर	4203
		12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवाड़ी	5026
		13	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़	5029
		14	पंच निर्णय शुल्क सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, अलवर	5032
		15	देवस्थान विभाग, अलवर	5036
		16	जिला आयुर्वेद अलवर	5620
		17	लॉईस यूनिवर्सिटी चिकानी, अलवर	5752
		18	प्राचार्य राजकीय कॉलेज, तिजारा	5871
		19	कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ़बास	6075
		20	जिला अल्पसंख्यक, कल्याण अधिकारी अलवर	6459
		21	जिला प्रोजेक्ट मनेजमेंट यूनिट, अलवर	6683
2	बारां	22	आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति एवं श्रमिक कल्याण कार्यालय, बारां	519
		23	जिला कारागृह, बारां	533
		24	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा	536
		25	जिला महिला विकास अभिकरण विकास, बारां	538
		26	राजकीय महाविद्यालय, बारां	540
		27	बारां नागरिक सहकारी बैंक, बारां	1242
		28	उप निदेशक, बाल विकास विभाग, बारां	1246
		29	राजकीय छात्रा महाविद्यालय, बारां	1254
		30	कृषि अधिकारी, उद्यान, बारां	1257
		31	राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, बारां	6149
		32	सुमित्रा देवी विश्वविद्यालय, रायपुर, बारां	6633
3	बीकानेर	33	आई.टी.आई. महिला, बीकानेर	714
		34	सचिव, कृषि उपज मंडी श्री डूंगरगढ़, बीकानेर	717
		35	अधीक्षण अभियंता शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना, बीकानेर	743
		36	कार्यक्रम निदेशक, बीकानेर	3234
		37	जिला महिला विकास एजेंसी, बीकानेर	3284
		38	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, बीकानेर	3303
		39	सिविल डिफेंस, बीकानेर	3311
		40	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर	5828
4	बूंदी	41	जिला आयुर्वेद अधिकारी	480
		42	उप निदेशक (आईसीडीएस) डीडब्ल्यूडीए बी	5406
		43	जिला जेल बूंदी	5477
		44	आयुक्त लेबर एक्ट	5486
		45	कृषि उपज मंडी समिति केशोराय पाटन	5495
		46	कृषि उपज मंडी समिति	5497
5	भरतपुर	47	कार्यक्रम निदेशक, आर.एस.ए.जी.टी. एण्ड आर. सेन्टर, भरतपुर	1883
		48	यू.आई.टी. भरतपुर	2219
		49	आई.आई. टी. भरतपुर	2220

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		50	पुलिस प्रोविडेंट फण्ड, भरतपुर	2225
		51	उपमुख्य वन्य जीव रक्षक, भरतपुर	2243
6	भीलवाड़ा	52	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऊंचा	876
		53	उप निदेशान, आई.सी.डी.एस. डी.डब्ल्यू.डी.ए., भीलवाड़ा	879
		54	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा	3196
		55	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुलाबपुरा	3197
		56	एफ.एफ.डी.ए. भीलवाड़ा	3201
		57	नगर विकास न्यास भीलवाड़ा	3203
		58	उप निदेशक, कृषि विभाग	3204
		59	जिला जेल, भीलवाड़ा	3206
		60	राजकीय महाविद्यालय, आसींद	5868
		61	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर	5900
		62	वन संरक्षक, भीलवाड़ा	6636
		63	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बिजोलिया, भीलवाड़ा	6717
7	चूरू	64	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, तारानगर	2788
		65	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	480
		66	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुजानगढ़	2867
		67	खण्डीय वन अधिकारी, चूरू	2870
		68	जिला जेन (बी ग्रेड) चूरू	2890
		69	अधिकाधी अभियंता, पीएचईडी, चूरू	2894
		70	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, चूरू	2934
		71	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	5855
		72	जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, चूरू	6229
		73	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चूरू	6415
8	दौसा	74	डीडब्ल्यूडीए, दौसा	1771
		75	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिलापरिषद, दौसा	3016
		76	उप निदेशक, कृषि विस्तार, दौसा	3019
		77	एनएसएपी, दौसा	3020
		78	उप निदेशक, उद्यान, दौसा	3021
		79	आर.सी.एच. दौसा	3057
		80	जिला अल्प बचत अधिकारी, दौसा	3059
		81	जिला कारागृह, दौसा	3060
		82	सहायक अभियंता, कृषि, एससी एण्ड डब्ल्यूएसडी, दौसा	3066
		83	सहायक अभियंता, कृषि, डब्ल्यूडीएससी, बांदीकुई	3067
		84	एनपीएस दौसा	5684
9	डूंगरपूर	85	जिला खनिज फाउन्डेशन फण्ड, डूंगरपूर	6244
10	धौलपुर	86	परियोजना जिला महिला विकास अभिकरण, धौलपुर	4989
		87	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाड़ी, धौलपुर	4990
11	श्रीगंगानगर	88	बाबा हरद्वारी नाथ मेमोरियल ट्रस्ट 2ML श्रीगंगानगर	1290
		89	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर	1295

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		90	सिविल डिफेंस, श्रीगंगानगर	1296
		91	राजकीय महिला माहविद्यालय, सादुलशहर	1301
		92	भूमि आवाप्ति अधिकारी, श्रीकरनपुर	1308
		93	कमांडेंट सीमा गृह सुरक्षा गार्ड, श्रीगंगानगर	1859
		94	भूमि आवाप्ति अधिकारी, श्रीगंगानगर	2021
		95	भूमि आवाप्ति अधिकारी, सूरतगढ़	2022
		96	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अनूपगढ़	2038
		97	टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर	5755
		98	राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़	5967
		99	जिला खनिज, श्रीगंगानगर (डीएमएफटी)	6221
12	हनुमानगढ़	100	कर्मकार कॉम्प. कोर्पोरेशन, हनुमानगढ़	3092
		101	उप अधीक्षक, जिला कारागार, हनुमानगढ़	3123
		102	जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड, हनुमानगढ़	6241
13	जयपुर (शहर)	103	जिला भू संरक्षण अधिकारी	544
		104	आर.सी.एच. सोसायटी	546
		105	सचिव, मुस्लिम वक्फ बोर्ड	548
		106	उप निदेशक, अल्प बचत	549
		107	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झोटवाड़ा	550
		108	मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण,	551
		109	राजस्थान राज्य वन विकास निगम	552
		110	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	554
		111	नारू उन्मूलन	556
		112	अध्यक्ष ग्रामदान बोर्ड, जयपुर	558
		113	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	559
		114	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	560
		115	राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि.	563
		116	राजस्थान टूरिज्म	564
		117	क्षेत्रीय स्वयं, जयपुर (शहर)	1275
		118	एन.बी.डी. बाल मंदिर	3472
		119	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	3473
		120	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर	3474
		121	महाराजा संस्कृत महाविद्यालय	3475
		122	राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर	3477
		123	चौ. कर्नावट जमा. सैण्ट्रल जेल, जयपुर	3480
		124	सचिव, राजस्थान पुलिस प्राईवेट फण्ड, जयपुर	3483
		125	कैदी कल्याण फण्ड	3484
		126	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3488
		127	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास, आर.आर.सी. जयपुर	3489
		128	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, जयपुर	3493
		129	अध्यक्ष ट्रेजरी मिंट कॉर्पोरेटिव	3495

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		130	मंत्री सेण्ट्रल प्रेस कॉर्पोरेटिव, जयपुर	3496
		131	महिला एवं बाल विकास	3500
		132	प्राचार्य, राजकीय दंत चिकित्सालय	3542
		133	खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज	3543
		134	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय जेल	3544
		135	आर्चियोलोजिकल एंड म्यूजियम	3633
		136	सिसोदिया विद्यादर विकास समिति	3656
		137	राजस्थान राज्य संग्रालय विकास संस्थान	3657
		138	डिप्लोमा इन फार्मसी, जयपुर	3673
		139	राज्य जेल	3679
		140	राजस्थान संस्कृत टी.टी. कॉलेज	3704
		141	राजस्थान कौशल स्कूल ऑफ एमीनेशन	3706
		142	आई.सी.ए.आई. अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन	3708
		143	प्रताप यूनिवर्सिटी	4197
		144	देव यूनिवर्सिटी	4201
		145	वी.आई.टी. यूनिवर्सिटी	5638
		146	राजस्थान भू अभिलेख जयपुर	5718
		147	पौदार इंटरनेशनल	5719
		148	बंदी कल्याण कोर्पोरेटिव जयपुर	5740
		149	डा. भीमराव अम्बेडकर, जयपुर	5776
		150	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	5823
		151	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	5888
		152	महिला बंदी सुधार गृह	6074
		153	राजस्थान उर्जा विकास निगम लि.	6095
		154	आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति (दौसा) लेबर कोर्ट	6190
		155	आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति (झुन्झूनू) लेबर कोर्ट	6191
		156	अपेक्स विश्वविद्यालय	6379
		157	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खो नागौरियान	6647
		158	जिला कलेक्टर (भू अवाप्ति) जयपुर	6678
		159	रजि. राज. होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	6763
14	जयपुर (सचिवालय)	160	जिला आयुर्वेद अधिकारी	480
		161	एडल्ट एजुकेशन	555
		162	लोक जुम्बिस परिषद, जयपुर	3742
		163	इण्डियन इन्सट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च	3750
		164	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	3760
		165	भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण	3771
		166	जलसंसाधन विकास एवं भू-संरक्षण	3769
		167	अरावली जयपुर	3761
		168	राजस्थान राज्य वेटेनरी चिकित्सा परिषद	3775
		169	तिलम संघ	3784

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.स.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		170	राजस्थान बुनकर सहकारी संघ लि.	3799
		171	उपनिदेशक कृषि (विस्तार)	3800
		172	राजस्थान जल संसाधन विकास निगम	3806
		173	राजस्थान राज्य उर्जा विकास एजेंसी	3807
		174	राजस्थान राज्य एगो इण्डस्ट्रीज निगम	3829
		175	राजस्थान सी.एम. लाईफ सेविंग फण्ड	3923
		176	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग	3924
		177	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर	3937
		178	उप सचिव राजस्थान एस.सी./ एस.टी. आयोग, जयपुर	3951
		179	श्री करनपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति	3957
		180	खेतान पॉलो कॉलेज, जयपुर	3970
		181	रिकवरी ऑफ लोन फॉर कन्वेन्स ऑफ एसबीबीजे	3972
		182	रिकवरी ऑफ लोन फॉर कन्वेन्स ऑफ ओबीसी	3973
		183	संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा	3974
		184	राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लि.	3975
		185	निदेशक, सूचना तकनीकी विभाग, जयपुर	3976
		186	राज्य उपभोक्ता कला कोष	3980
		187	पी.डी. कोर	3981
		188	केन्द्रीय प्रशिक्षण इन्सट्यूट, राजस्थान, जयपुर	4010
		189	शिल्प एवं मोती कला बोर्ड	4021
		190	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	4190
		191	महाराज विनायक	5576
		192	राजस्थान आवास	5629
		193	डिविजनल आवास	5640
		194	राजस्थान हॉल्टिकल्चर	5641
		195	राजस्थान एक्स सर्विस	5679
		196	पूर्णमा विश्वविद्यालय	5693
		197	स्टेट प्रोजेक्ट फेसिलेशन यूनिट	5706
		198	राजस्थान वक्फ बोर्ड	5742
		199	हरदेव जोशी विश्वविद्यालय	5748
		200	ओपीजेएस विश्वविद्यालय	5750
		201	राजस्थान स्टेट पावर फाईनेंशियल एण्ड फाईनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.	5756
		202	राजस्थान इन्सट्यूट ऑफ एगो प्रोसेसिंग सेन्टर भरतपुर	5762
		203	राजस्थान स्टेट रिफाईनरी लि.	5773
		204	स्वैच्छक क्षेत्र विकास केन्द्र	5779
		205	राजस्थान संवाद	5787
		206	राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लि.	5808
		207	राजस्थान पैरामेडिकल कौन्सिल	5816
		208	राजस्थान वेटैनरी सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.	5845

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		209	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी	5917
		210	राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन कौन्सिल	5943
		211	स्टेट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	5957
		212	निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर	6007
		213	राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लि., जयपुर	6063
		214	सिविल डिफेन्स विभाग	6078
		215	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान	6090
		216	निदेशालय, अल्प संख्यक मामलात विभाग	6454
		217	दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर विभाग, जयपुर	6629
		218	राजस्थान पिडित क्षतिपूर्ति फण्ड	6787
15	जयपुर(ग्रामीण)	219	इन्सिट्यूट ऑफ इन्जिनियरिंग मेन, चौमू	2075
		220	मनिपाल विश्वविद्यालय	4216
		221	प्रिंसिपल, राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमू	4889
		222	अधीक्षक, आई.टी.आई., सांभरलेक	4916
		223	अधीक्षक, आई.टी.आई., फागी	4923
		224	कृषि उपज मंडी समिति	5807
		225	महर्षि अरविन्द, जयपुर	5813
		226	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कॉन्सिल, जयपुर	6316
16	जालौर	227	कृषि उपज मंडी सांचौर	1146
		228	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, सायला	1208
		229	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, सांचौर	1209
		230	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, रानीवाड़ा	1272
		231	प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर	1274
		232	परियोजना अधिकारी, डी.डब्ल्यू.डी.ए. जालौर	1393
		233	कृषि उपजमंडी समिति, जालौर	3014
		234	वर्ककर कॉम्प आयु	3239
		235	जिला आयुर्वेद	3343
		236	अधीक्षक, आईटीआई, जालौर	4410
		237	डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड	4413
		238	अधीक्षक, आईटीआई, रानीवाड़ा	4415
		239	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, जालौर	4416
		240	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, आहोर	4417
		241	कृषि उपजमंडी समिति, भीनमाल	4895
		242	पीएम एससीडीसी, जालौर	4898
		243	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, भीनमाल	5005
		244	उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, जसवुतपुरा	5292
		245	उप कमांडेंट, बंदी कल्याण कोष, जालौर	5296
		246	बीईईओ, चितलवाना	5658
		247	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, आहौर	6064
		248	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जालौर	6107

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		249	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फॉउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड	6230
		250	अति. जिला परियोजना समन्वयक, रमसा, जालौर	6356
		251	अति. जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जालौर	6422
		252	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, रानीवाड़ा	6540
		253	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, सायला	6541
		254	वन संरक्षक, जालौर	6638
		255	जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई, जालौर	6699
		256	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा	6725
		257	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, सांचौर	6851
17	झालावाड़	258	सहायक निदेशक, उद्यान	4610
		259	परियोजना निदेशक, डीडब्ल्यूडीए	4671
		260	कृषि उपज मंडी समिति भवानी मंडी	4678
		261	जिला कारागार, झालावाड़	4685
		262	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़	4689
		263	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर	4707
		264	सहायक निदेशक, पशु प्रजनन केन्द्र, डग	4711
		265	मिनि सचिवालय प्रबंधन समिति	4715
		266	राजकीय महाविद्यालय, चौमहला	6168
		267	राजकीय महाविद्यालय, पिड़ावा	6169
18	जोधपुर (शहर)	268	प्रिंसिपल राजकीय आयुर्वेद नर्स ट्रेनिंग सेन्टर	2093
		269	जोधपुर प्राईवेट यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2750
		270	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, इम्पावर	2752
		271	अधिकाधी अभियंता, जल संसाधान खण्ड, जोधपुर	4023
		272	अधीक्षक, एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ हास्पिटलस, जोधपुर	4040
		273	संयुक्त निदेशक, कॉर्पोरेटिव सोसाईटी, जोधपुर	4055
		274	उपवन संरक्षक, वन्य जीव, जोधपुर	4071
		275	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जोधपुर	4095
		276	परियोजना निदेशक, बाल विकास परियोजना, जोधपुर	4104
		277	उप पंजियक, कॉर्पोरेटिव सोसाईटी, जोधपुर	4124
		278	अधिकाधी अभियंता, पी.एच.ई.डी., जिला खण्ड-11, जोधपुर	4144
		279	सहायक निदेशक, एनिमल हजबेण्डी ट्रेनिंग इन्सट्यूट, जोधपुर	4159
		280	राजस्थान जेल बैण्ड, जोधपुर	4161
		281	परियोजना निदेशक, आरईजी सेल्फ हेल्फ ग्रुप आरईएफ, जोधपुर	4951
		282	डिविजन संस्कृत एजुकेशन ऑफिसर, जोधपुर	5642
		283	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड, जोधपुर	6401
19	जोधपुर (ग्रामीण)	284	प्राचार्य राजकीय बालिका महाविद्यालय पीपाड़सिटी	4574
		285	अधीक्षक, आई.टी.आई., बालेसर	4582
		286	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा	5859
		287	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बालेसर	5870
		288	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ओसियां	6058

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		289	बीईईओ टिवरी, औसियां	6291
20	करौली	290	आई.टी.आई. करौली	4355
		291	देवास्थान विभाग, करौली	4356
21	कोटा	292	जिला आयुर्वेद अधिकारी, कोटा	480
		293	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, कोटा	2440
		294	मेमी शिक्षा, कोटा	2308
22	नागौर	295	डीडीआई सीडीएस नागौर	2255
		296	राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, नागौर	2577
		297	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, मेड़तासिटी	2578
		298	प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर	2579
		299	सेठी गणपतराय ट्रस्ट, लाडनूं	2584
		300	ई.ई. पीएचईडी डिविजन, डीडवाना	2598
		301	उप अधीक्षक जेल, नागौर	2670
		302	परियोजना अधिकारी डीडब्ल्यूडीए, नागौर	2728
		303	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, जायल	5820
		304	मीरां विश्वविद्यालय, मेड़तासिटी	6279
		305	स्वामी विवेकानंद राजकीय मोड्यूल स्कूल, रियां, नागौर	6562
		306	स्वामी विवेकानंद राजकीय मोड्यूल स्कूल, डेगाना, नागौर	6567
23	प्रतापगढ़	307	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	3418
		308	उप परियोजना अधिकारी, जन जाति क्षेत्रीय विकास	3421
		309	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरनोद	3439
		310	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पीपलखूंट	3448
		311	उप अधीक्षक, जेल, प्रतापगढ़	3450
		312	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), प्रतापगढ़	6115
		313	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, प्रतापगढ़	6238
24	पाली	314	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, पाली	1776
		315	उप अधीक्षक, जिला जेल, पाली	1811
		316	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., जिला महिला विकास, पाली	1846
		317	राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्सन, पाली	6733
25	सीकर	318	जिला महिला विकास एजेंसी	1486
		319	पी.डब्ल्यू.डी.ए. सीकर	1575
		320	प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर	1576
		321	प्राचार्य, पॉलोटैक्निक महाविद्यालय, सीकर	5698
		322	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सीकर	5881
		323	प्राचार्य, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, सीकर	6032
		324	श्री सीताराम मोदी राज. शस्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सीकर	6194
26	टोंक	325	खण्डीय वन अधिकारी, टोंक	4226
		326	अध्यक्ष, एफएफडीए, टोंक	4231
		327	डी.डी.डी.डब्ल्यू.डी.ए. टोंक	4335
		328	जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) , टोंक	6246

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
27	उदयपुर	329	अध्यक्ष, मत्स्य पालन विकास अभिकरण	983
		330	प्राचार्य, आई.टी.आई., उदयपुर	990
		331	उपवन संरक्षक, (दक्षिण), उदयपुर	999
		332	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस. (बालविकास), उदयपुर	1002
		333	क्षेत्रीय, स्वयं सहायता समूह, Trg.&Ref.Ctr.उदयपुर	1087
		334	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर	5955
		335	जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएफएमटी), उदयपुर (शहर)	6400

परिशिष्ट संख्या- 23

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.2)

निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकड़े राशि ₹	संस्था के आंकड़े राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अजमेर	337	राजकी उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	17782314.20	17924479.00	0	142164.80
2	बारां	531	कमाण्डेंट, होमगार्ड, बारां	2776091.00	2772671.00	3420.00	0
3	बीकानेर	764	वरिष्ठ उपशिक्षा अधिकारी/ बीईईओ कोलायत	66913773.81	66631687.81	282086.00	0
		765	वरिष्ठ उपशिक्षा अधिकारी/ बीईईओ लूणकरणसर	90819675.00	91077075.00	0	257400.00
		766	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री डूंगरगढ़	94401848.00	94378368.00	23480.00	0
		786	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	11207029.00	11432029.00	0	225000.00
		3281	राजकीय कृषि विश्व विद्यालय, बीकानेर	292664107.00	292659089.00	5018.00	0
		3297	प्राचार्य राजकीय लॉ महाविद्यालय, बीकानेर	1955290.00	2646674.00	0	691384.00
		3302	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	2922201.00	2978650.00	0	56449.00
		6135	जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर	329991739.00	325410359.00	4581380.00	0
4	बूंदी	1596	खण्डीय वन अधिकारी, बूंदी	3363605.99	2976188.00	387417.99	0
		6247	डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड	64139228.00	64191008.00	0	51780.00
5	भरतपुर	2221	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समय शिक्षा अभियान वैर, भरतपुर	113209768.37	100234734.37	12975034.00	0
6	चूरू	2855	राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़	5376077.00	5396203.00	0	20126.00
		2935	होम गार्ड टीसी, चूरू	508380.00	514265.00	0	5885.00
		2918	सीबीईओ, राजगढ़	64354017.00	64263791.00	90226.00	0

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकडे राशि ₹	संस्था के आंकडे राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		2856	प्राचार्य, राजकीय लौहिया कॉलेज, चूरु	16439797.00	18203099.00	0	1763302.00
		2915	सीबीईईओ, चूरु	88955133.05	88556051.60	399081.45	0
		2932	परियोजना निदेशक, डीडब्ल्यूडीए, चूरु	570344.00	572144.00	0	1800.00
7	दौसा	3056	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	8581299.00	8579499.00	1800.00	0
		3061	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ	124408973.29	129598347.94	0	5189374.65
8	धौलपुर	4931	पुलिस अधीक्षक, होमगार्ड, धौलपुर	3045022.00	3034300.00	10722.00	0
		4938	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, धौलपुर	6080307.48	6075800.48	4507.00	0
		4968	वरिष्ठ उप डीईईओ कम बीईईओ, धौलपुर	40879767.42	40839021.42	40746.00	0
		4969	वरिष्ठ उप डीईईओ कम बीईईओ, बाड़ी	28872720.87	28859574.87	13146.00	0
		4982	कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त, धौलपुर	5387708.00	5374208.00	13500.00	0
9	हनुमानगढ़	3132	भूमि आवाप्ति अधिकारी, हनुमानगढ़	139990270.27	140512065.27	0	521795.00
		6130	शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) मुख्यालय, हनुमानगढ़	65829138.00	65827913.00	1225.00	0
10	जयपुर(शहर)	3499	उप वन संरक्षक पूर्व	5299813.99	5261813.99	38000.00	0
		543	देवस्थान विभाग	135075.64	138581.64	0	3506.00
		545	उप मुख्य वन्य जीव संरक्षक	13867534.00	13223231.00	644303.00	0
		3674	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमेर विकास	213584105.00	213541072.00	43033.00	0
11	जयपुर (ग्रामीण)	4907	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांभरलेक	29805089.67	29803256.67	1833.00	0
12	जयपुर (सचिवालय)	3793	राज. अनु.जाति/ जन जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	481996407.59	462176407.59	19820000.00	0
		3782	पंत कृषि भवन सामूहिक सुविधा विकास	17718764.00	17712977.00	5787.00	0
		3762	एंटरप्रेणुशिप एण्ड मैनेजमेंट डवलपमेंट इन्सट्यूट	7909308.00	7893143.00	16165.00	0
		3747	राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग	4011054.00	4010754.00	300.00	0
		3803	महा निदेशक गृह रक्षा, राजस्थान	194638909.06	195038909.06	0	400000.00
		5294	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	5861975.00	5740807.00	121168.00	0
		5295	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	5905311.00	5810512.00	94799.00	0
		5806	प्रधानमंत्र आवास योजना ग्रामीण	1984785375.98	1984627730.98	157645.00	0

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकडे राशि ₹	संस्था के आंकडे राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		3993	इंदिरा गांधी पंचायतिराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	19632209.70	19630647.70	1562.00	0
		3792	स्थनीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर	623806455.00	623522455.00	284000.00	0
		4009	निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान	386943.00	347970.00	38973.00	0
		5303	कार्यकारी निदेशक रुडिसको	5786663320.00	5786660214.00	3106.00	0
		3798	राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	1265215000.00	1255215000.00	1000000.00	0
		3834	जयपुर कथक केन्द्र	8485864.00	8466579.00	19285.00	0
		3820	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	415170870.31	415168623.31	2247.00	0
		3822	राजस्थान भूमि विकास कॉर्पोरेशन	23668484.00	23658712.00	9772.00	0
		3755	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	14950000.00	12950000.00	2000000.00	0
		3743	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	153502170.00	145570344.00	7931826.00	0
		4180	उपभोक्ता मामलात विभाग	4745374.00	4422436.00	322938.00	0
13	जोधपुर (ग्रामीण)	4555	आई.टी.आई. पीपाड़ सिटी, जोधपुर	115800.00	228300.00	0	112500.00
14	झालावाड़	4647	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झालारापाटन	20543520.00	20580542.00	0	37022.00
		4710	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, झालावाड़	5814227.00	5849865.00	0	35638.00
		4680	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	31841082.00	31845552.00	0	4470.00
		4684	उपवन संरक्षक, झालावाड़	25786543.85	25884749.85	0	98206.00
		4713	कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झालावाड़	5061809.50	5540584.00	0	478774.50
		4683	मतस्य विकास अधिकारी, झालावाड़	473384.25	373384.25	10000.00	0
15	कोटा	2333	अनु.सू.जाति/अनु.ज.जाति. विकास सहकारी निगम	3842837.00	3851147.00	0	8310.00
		2330	आई.एम.टी.आई. कोटा	62289619.90	62295619.90	0	6000.00
		2422	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, सुल्तानपुर	51443999.48	51449275.48	0	5276.00
		2328	जिला वन अधिकारी, वन्य जीव, कोटा	10974456.70	9372570.70	1601886.00	0
		2331	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	41473626.00	41304579.00	169047.00	0

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकडे राशि ₹	संस्था के आंकडे राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		2306	केन्द्रीय कारागार, कोटा	6597092.50	6599849.50	0	2757.00
16	नागौर	2596	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नागौर	4050403.00	1774444.00	2275959.00	0
		2659	बीईईओ, जायल	66997515.00	66762642.00	234873.00	0
		2660	बीईईओ, मेड़ता सिटी	43338550.15	43367841.15	0	29291.00
		2729	होमगार्ड ट्रेनिंग, नागौर	4880873.00	2267012.00	2613861.00	0
		6176	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खीवसर	281491.00	592788.00	0	311297.00
		6240	डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, नागौर	243368714.69	104738930.69	138629784.00	0
योग अंतर ₹				13602346582.71	13406791149.22	206014941.44	10459507.95

परिशिष्ट संख्या - 24

(संदर्भ पैरा संख्या -3.9.1)

निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	दिनांक	राशि ₹
1	अजमेर	31.03.19	3005968.00
2	अलवर	30.06.19	11993922.00
3	बाड़मेर	31.01.20	2354389.00
4	बारां	25.10.19	7400793.00
5	बांसवाड़ा	31.03.19	22811311.20
6	बीकानेर	31.03.19	16960324.00
7	बूंदी	30.04.19	5895008.00
8	भरतपुर	31.03.19	6483714.06
9	भीलवाड़ा	30.06.19	20027198.18
10	चित्तौड़गढ़	21.01.20	33052023.00
11	चूरू	31.03.19	11631301.30
12	डूंगरपुर	30.09.19	26604321.07
13	दौसा	31.03.19	12377047.00
14	धौलपुर	31.03.19	20159851.62
15	श्रीगंगानगर	31.03.19	5112705.00
16	हनुमानगढ़	31.03.19	9721460.00
17	जयपुर (शहर)	23.07.19	5877026.00
18	जयपुर (सचिवालय)	23.05.19	8041712.00
19	जयपुर (पेंशन)	31.05.19	3272562.00
20	जयपुर (ग्रामीण)	31.01.19	8875984.00
21	जालौर	31.03.19	1211687.00
22	जैसलमेर	31.10.19	7577701.00
23	जोधपुर (शहर)	31.10.19	5021430.40
24	जोधपुर (ग्रामीण)	31.03.19	2221935.00
25	झालावाड़	30.03.19	11739845.57
26	करौली	30.11.19	19965063.00

क्र.सं.	कोषालय का नाम	दिनांक	राशि ₹
27	कोटा	30.12.19	3962800.92
28	नागौर	31.03.19	2660540.78
29	प्रतापगढ़	15.01.20	5633687.00
30	पाली	31.01.20	23383713.00
31	राजसमंद	31.07.19	2040621.00
32	सवाई माधोपुर	31.03.19	3145651.00
33	सिरोही	30.09.19	5065839.00
34	सीकर	31.05.19	4940804.00
35	टोंक	30.11.19	16414138.00
36	उदयपुर (शहर)	30.11.19	17205317.00
37	उदयपुर(ग्रामीण)	31.07.19	9229940.00
योग			383079334.1

परिशिष्ट संख्या - 25

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.10.10)

रोकड़िया से प्रतिभूति बंधपत्र प्राप्त नहीं करने वाले कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	प्रतिभूति बन्ध पत्र प्राप्त नहीं करने वाले कोषालयों/उपकोषालयों का नाम
1	अजमेर	उपकोष अरांडी, केकड़ी
2	अलवर	उपकोष लक्ष्मणगढ़
3	बाड़मेर	उपकोष पचपद्रा, बायतु, सिवाना, धीरीमन्ना, सेड़वा
4	बारां	उपकोष किशनगंज
5	बीकानेर	उपकोष छत्तरगढ़
6	धौलपुर	उपकोष सैंपड
7	भीलवाड़ा	उपकोष जहाजपुर, शाहपुरा
8	डूंगरपूर	उपकोष बिच्छीवाड़ा
9	दौसा	उपकोष सिकराय, महवा
10	झालावाड़	उपकोष झालरापाटन, खानपुर, अकलेरा, पचपहाड़,
11	जोधपुर (ग्रामीण)	उपकोष औसियां
12	कोटा	उपकोष रामगंजमंडी, कोटा (पेंशन)
13	पाली	खारची(मारवाड़ जंक्सन), सोजत,
14	राजसमंद	उपकोष कुंभलगढ़, आमेट, देवगढ़
15	सिरोही	उपकोष शिवगंज
16	टोंक	उपकोष पीपलू
17	उदयपुर (ग्रामीण)	उपकोष लसाडिया

परिशिष्ट संख्या -26

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.10.11)

रोकड़बही का संधारण नहीं करने वाले कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	रोकड़बही का संधारण नहीं करने वाले कोषालयों/उपकोषालयों का नाम
1	अलवर	कोषालय अलवर
2	ब्यावर	कोषालय ब्यावर
3	बाड़मेर	कोषालय बाड़मेर, बायतु, सिणधरी, सेड़वा
4	बारां	उपकोष किशनगंज, छीपाबड़ौद, अटरू
5	बांसवाड़ा	उपकोष बागीदौरा
6	बीकानेर	उपकोष पूगल, खाजूवाला, छत्तरगढ़
7	भरतपुर	कोषालय भरतपुर
8	भीलवाड़ा	कोषालय भीलवाड़ा व उपकोष माण्डलगढ़, शाहपुरा, मांडल, आसीन्द
9	चित्तौड़गढ़	कोषालय चित्तौड़गढ़ एवं उपकोष कपासन
10	डूंगरपुर	कोषालय डूंगरपुर व उपकोष आसपुर, बिच्छीवाड़ा
11	हनुमानगढ़	उपकोष भादरा
12	जयपुर (शहर)	कोषालय जयपुर (शहर)
13	जयपुर (ग्रामीण)	उपकोष जमवा रामगढ़, आमेर, फागी
14	जालौर	उपकोष भीनमाल
15	जैसलमेर	कोषालय जैसलमेर
16	जोधपुर (शहर)	कोषालय जोधपुर (शहर)
17	जोधपुर (ग्रामीण)	उपकोष बिलाड़ा, भोपालगढ़, औंसियां, शेरगढ़, कोषालय जोधपुर (ग्रामीण)
18	झालावाड़	कोषालय झालावाड़ एवं उपकोष खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना, पचपहाड़,
19	कोटा	कोषालय कोटा व उपकोष रामगंजमंडी
20	नागौर	उपकोष डीडवाना
21	राजसमंद	कोषालय राजसमंद व उपकोष रेलमगरा, कुम्भलगढ़, आमेट, देवगढ़
22	सिरोही	कोषालय सिरोही एवं उपकोष रेवदर, पिण्डवाड़ा, शिवगंज
23	टोंक	उपकोष पीपलू
24	उदयपुर	कोषालय उदयपुर (शहर)
25	उदयपुर (ग्रामीण)	कोषालय उदयपुर (ग्रामीण), उपकोष लसाडिया, ऋषभदेव, कोटड़ा
26	ई-कोषालय, जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर

© कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान,
जयपुर
